वार्षिकी-2016, अंकः 3

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय

ENFORCEMENT DIRECTORATE

प्रवर्तन दिवस, 2016 के अवसर पर माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा उद्घाटन दीप प्रज्जलित करते हुए

प्रवर्तन निदेशक श्री कर्नल सिंह आरंभिक संबोधन करते हुए

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) की
वार्षिक पत्रिका
भारत सरकार, नई दिल्ली।

वर्ष–2016

क्रम सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ
1	प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर	अनिल रामटेके	9
2	भारत में भ्रष्टाचार से अवैध रूप से अर्जित संपति की वसूली	ए. सी. सिंह	11
3	फेमा और भारतीय रिजर्व बैंक	नीता बेहरामफ्राम	15
4	प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ वर्ष (2015–16)	निरंजन सुबुद्धि	18
5	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश	जगदीश प्रसाद मीना	21
6	जयपुर में एक बाप–बेटे के नशीले पदार्थों के काले कारोबार में शामिल पाए जाने पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत उनकी संपत्तियों और नकदी की कुर्की।	ए. के. कौशल	33
7	हिंदी शब्दावली की यात्रा	बाल किशन	34
8	दक्षिण भारत के धार्मिक स्थल	एन. वेलमुरगन	40
9	प्रकृति व हम	दीपक चौहान	44
10	गाँवों का बदलता स्वरूप	आर. कुमार	45
11	शराबबंदी का महत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य में	सोमनाथ चौधरी	48
12	कहीं विलुप्त ना हो जाए आदिवासी संस्कृति	नरेश कुमार दसौंधी	49
13	सकारात्मक विचारों की ताकत	संदीप	51
14	कन्या भ्रूण हत्या : एक अभिशाप	जुबैर खान	53
15	भारत में हिन्दी भाषा की स्थिति, अखिर ऐसा क्यों?	धर्म देव नेगी	55
16	नई सुबह	कन्हैयालाल	56
17	एक बार लौट आओ	आराधना मण्डल	57
18	बेटी आपका सौभाग्य है	प्रतिमा कुमारी	58
19	आगे ही आगे बढ़ते जाना है तुझको	जूही कुमारी	59
20	अपनी लाइफ	राणा बनर्जी	60
21	बेटा–बेटी में फर्क क्यों?	सुरेश कुमार	61
22	हर दिल में एक दिया जलाएं	प्रवीण कुमार झा	62
23	अमृत घट	अशोक कुमार श्रीवास्तव	65
24	माँ की बेबसी	कृपाशंकर मीना	64
25	माँ की बारी (लघु कहानी)	विवेक श्रीवास्तव	65
26	हिन्दी भाषा	भोलानाथ	66
27	एक हार की जीत	जे.ए. जैदी	67
28	हिन्दी भाषा की मार्मिक गाथा	हरेन्द्र तोमर	68
29	माँ की ममता	राकेशचन्द्र शर्मा	69
30	वृक्ष लगाओ	सचिन्द्रनाथ पांजा	70
31	भारत माँ के लाल कहो अब किसका तुम्हें मलाल है	अमित कुमार सैनी	71
32	बेटियाँ	प्रेम चन्द रायकवार	72
33	रोटी की तलाश में	राज कुमार कर्ण	73
34	याद रह गई वो बचपन की कहानी	मनोज कुमार	74
35	जिंदगी	सुमन ठाकुर	75
36	हमें आगे बढ़ते जाना हैं।	देबीदत्त सारंगी	76
37	कारवाँ	सत्येन्द्र सिंह	77
38	कविता	गिन्नी चाँदना	78
39	मेरा गाँव	नीरज कमार सहरावत	79
40	माँ का कर्ज	ज्ञान सिंह नेगी	80

मुख्य संरक्षकः
कर्नल सिंह
प्रवर्तन निदेशक

मुख्य संपादकः
डी॰ के॰ गुप्ता
विशेष निदेशक

संपादकः
जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक मंडलः
ए.के. कौशल
सहायक निदेशक

अनूप सिंह रौथान
सहायक निदेशक

पी. के. भारल
सहायक निदेशक

सतेन्द्र सिंह
सहायक निदेशक

बाल किशन
वरिष्ठ अनुवादक

श्रीराम मीना
सहायक प्रवर्तन अधिकारी

कन्हैया लाल
सहायक

पत्र व्यवहार के लिए पताः
कमरा सं0 44, हिंदी अनुभाग, प्रवर्तन निदेशालय,
छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003

प्रवर्तन निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) की गृह पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' का तीसरा अंक आप सभी को सौंपते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। एक जाँच अभिकरण होते हुए भी, प्रवर्तन निदेशालय के कार्मिकों ने अपने कार्य से हटकर राजभाषा हिंदी के साहित्य के प्रति अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

इस पत्रिका ने सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सुअवसर प्रदान किया है, जो हमें एक सुखद अनुभूति का अहसास कराती है। सभी रचनाकारों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से शब्दों की ऐसी माला पिरोई है, जिससे 'प्रवर्तन संदेश' सुगंधित हो गई है ।

मैं पत्रिका के संपादक–मंडल के सभी सदस्यों एवं इसके प्रकाशन में सहयोग करने वाले सभी रचनाकारों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर पत्रिका का निर्माण किया है। आशा करता हूँ कि 'प्रवर्तन संदेश' इसी प्रकार भविष्य में आगे बढ़ती रहेगी ।

कर्नल सिंह

(कर्नल सिंह)

विशेष निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) द्वारा गृह पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' का तृतीय अंक प्रकाशित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। हिंदी भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसने राष्ट्रीय एकता में भरपूर योगदान दिया है क्योंकि इस भाषा द्वारा सहयोग, मैत्री, प्रेम तथा सेवा का सृजन हुआ है।

यह अंक प्रवर्तन निदेशालय के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित होगा। मैं निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

हिंदी भाषा अत्यंत सहज एवं सरल भाषा है। मेरा यह मानना है कि दैनिक व्यवहार में अपनाने एवं रोजमर्रा के काम–काज का हिस्सा बना लेने पर सरकारी कार्य हिन्दी में करना सरल एवं सुगम हो जाएगा।

'प्रवर्तन संदेश' के प्रकाशन को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग देने के लिए मैं निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। पत्रिका में कार्यालयीन कार्य से संबंधित अध्याय में निदेशालय की कार्यकुशलता और दक्षता का बोध होता है और साहित्यिक अध्याय में कार्मिकों की साहित्य के प्रति रूचि में प्रतिभा उजागर होती है।

यह पत्रिका हमें ज्ञान बोध के साथ पाठन का आनंद प्रदान करती है। मैं निदेशक महोदय का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इसके अनवरत प्रकाशन में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण हम 'प्रवर्तन संदेश' का सफल प्रकाशन कर सके।

मैं संपादक–मंडल के सभी सदस्यों एवं लेखकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिनकी मेहनत से यह पत्रिका अधिक रोचक बन पाई है।

देवेन्द्र गुप्ता

(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)

सहायक निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संपादक की कलम से......

मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) द्वारा 'प्रवर्तन संदेश' के तीसरे अंक का प्रकाशन होने जा रहा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और भाषा का संस्कृति से गहरा संबंध है। राष्ट्र के निवासी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता कायम रखने के लिए गर्व के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करते है। हिंदी देश की सर्वाधिक आबादी के लिए सम्पर्क का सहज माध्यम बन चुकी है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करके जनभावनाओं को साकार किया है। कहा जाता है कि जिस राष्ट्र की मातृभाषा जितनी समृद्ध एवं शक्तिशाली होगी। वह राष्ट्र उतना ही उन्नत एवं प्रगतिशील होगा।

हिंदी में कार्य करते समय, सरल, सहज एवं सुबोध प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्यालयों की गृह पत्रिकाओं में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नवीनतम एवं ज्ञानवर्धक रचनाओं का समावेश होता है।

'प्रवर्तन संदेश' के सफल प्रकाशन के लिए मैं संपादक–मंडल के सदस्यों तथा रचनाकारों को बधाई देते हुए, पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास की कामना करता हूँ।

(जगदीश प्रसाद मीना)

प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर

कोई भी संगठन अपने मूल्यों एवं सदाचारों के बल पर खड़ा होता है, जो उसके कार्य बल से प्रकट होता है। एक संगठन के रूप में प्रवर्तन निदेशालय अपने कार्यबल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय उन कुछ सरकारी संगठनों में से एक है, जिनका अपना प्रशिक्षण कैलेंडर है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने "प्रवर्तन निदेशालय समेकित प्रशिक्षण केंद्र" नामक अपना प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया है, जिसे संक्षिप्त में "इडिक्ट" कहते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रशिक्षण पर इतना ध्यान केंद्रित इसलिए किया है क्योंकि प्रशिक्षण से ही संगठन का कार्य निष्पादन, क्षमता और कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। एक संगठन के रूप में हमारा यह मानना है कि इसे बनाने में प्रत्येक कार्मिक का योगदान होता है। हमने कार्मिकों के योगदान को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करके एक संगठन के रूप में हमने कार्मिकों के आपसी समन्वय को पहले से ज्यादा सशक्त बनाया है।

प्रवर्तन निदेशालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो गया है ताकि जांच प्रक्रियाओं के दौरान आने वाली असंख्य चुनौतियों का सामना करने में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। वर्तमान में आयोजित किए गए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

1. सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के लिए मूलभूत पाठ्यक्रम (23 फरवरी – 11 मार्च, 2015) :– सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के स्तर के 23 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विधिक प्रक्रियाओं आदि से संबंधित मूलभूत पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया, जिनका वे इस निदेशालय में प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे।

2. सीमापार वित्तीय अन्वेषण के संबंध में प्रशिक्षण (27 अप्रैल –01 मई, 2015):– होमलैंड सिक्यूरिटी इंवेस्टीगेशन, अमेरीकी दूतावास द्वारा सहायक निदेशक स्तर के 05 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3. उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (05–09 अक्टूबर, 2015):– प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तित दो विधियों अर्थात् फेमा और पीएमएलए के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 18 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

4. सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के लिए मूलभूत पाठ्यक्रम (11 – 29 जनवरी 2016):– सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के स्तर के 26 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विधिक प्रक्रियाओं आदि से संबंधित मूलभूत पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया, जिनका वे इस निदेशालय में प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे।

5. परिसंपत्ति वसूली के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, बेसल संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति वसूली के संबंध में प्रशिक्षण (29 फरवरी –13 मार्च, 2016):– आईएनजीएएफ द्वारा सहायक निदेशक से संयुक्त निदेशक स्तर के 40

अधिकारियों को 20—20 के दो दलों प्रशिक्षित किया गया।

6. उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (25—29 अप्रैल, 2016):— प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तित दो विधियों अर्थात् फेमा और पीएमएलए के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 18 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

7. लिपिकवर्गीय कार्मिकों के लिए स्थापना नियमों के संबंध में प्रशिक्षण (16—20 मई, 2016):— सहायक स्तर के 30 लिपिकवर्गीय कार्मिकों को इस निदेशालय में उनके कामकाज को बेहतर बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8. सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के लिए मूलभूत पाठ्यक्रम (20 जून — 08 जुलाई, 2016):— सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के स्तर के 23 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विधिक प्रक्रियाओं आदि से संबंधित मूलभूत पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया, जिनका वे इस निदेशालय में प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे।

दिनांक 21—22 अप्रैल, 2016 को चण्डीगढ़ में आयोजित त्रैमासिक बैठक के दौरान, कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और मुख्यालय, रीजनल और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, वर्ष, 2016—17 के लिए मुख्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों का एक कैलेंडर इंटरानेट पर अपलोड कर दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय को धनशोधन प्रतिरोधन में अधिकारियों/अन्वेषकों के प्रशिक्षण में गहन अनुभव हो गया है और धनशोधन प्रतिरोधन तथा आंतक वित्तपोषण प्रतिरोधी संचालनों के संबंध में अन्य सार्क राष्ट्रों, जहां आवश्यकता हो, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सुसज्जित हो गया है।

अनिल रामटेके
संयुक्त निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

भारत में भ्रष्टाचार से अवैध रूप से अर्जित संपति की वसूली

भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने और अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रतिबद्ध है । भारत में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन प्रवर्तन निदेशालय को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) यथा संशोधित के तहत धनशोधन के अपराधों की जांच करना और अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्तियों की वसूली किए जाने का दायित्व सौंपा गया है । इस समय भारत विश्व के विधि प्रवर्तन अभिकरणों के सहयोग से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है ।

धनशोधन निवारण अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और योजना के अनुसार, अनुसूचित अपराधों में से अपराध करने वाले अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करना और कुर्क करना है। पी.एम.एल.ए. 2002 के अध्याय–IX में प्रावधान है कि अनुसूचित अपराधों में से यदि कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है और उससे अवैध आय से संपत्ति अर्जित भारत में की गई है अथवा अपराध भारत में कारित होता है और संपत्ति विदेश में अर्जित की जाती है तो उस अपराध को भी उक्त अधिनियम की अनुवर्ती विधि (धारा 2(1) (i क) के तहत अपराध माना जाता है, यह अपराध पी.एम.एल.ए. के तहत आता है । पी.एम.एल.ए. में गंभीर अपराधों और सामान्य अपराधों से अर्जित धन के बीच कोई अंतर नहीं है । 29 अधिनियमों के 159 अपराधों को उक्त अधिनियम की अनुसूचित सूची के भाग (क), (ख) और (ग) के तहत सूचीबद्ध किया गया है । उक्त अधिनियम की योजना के अनुसार जब्त संपत्ति की कुर्की धनशोधन अपराध करने वाले अपराधी का जुर्म साबित हो जाने के बाद की जाती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8, 9, 10, और 13 के अपराधों को अनुसूचित अपराधों के भाग क के प्रस्तर 8 में सूचीबद्ध किया है । ये अपराध लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने के साथ–साथ भ्रष्टाचार के अपराधों को वर्णित करता है । उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (अ) के अंतर्गत 'संपत्ति' शब्द के व्यापक रूप के मद्देनजर इस अधिनियम में परिसंपत्ति वसूली का प्रावधान शामिल है । 'जहां कहीं अवस्थित' शब्द अधिनियम को परिवर्ती बनाता है अध्याय–IX (धारा 55–61) के तहत पारस्परिक व्यवस्था का अंतःस्थापित प्रावधान संविदात्मक राष्ट्रों में अवैध रूप से अर्जित आय से खरीदी संपत्ति को जब्त करने और कुर्क करने के अधिकार क्षेत्र में आगे और विस्तार करता है । धनशोधन के अपराध को एक गंभीर अपराध के रूप में माना गया है और यह अपराध संघेय व गैर जमानती है तथा यहां तक कि इसमें विशेष न्यायालय को जमानत दिए जाने के अधिकार को भी एक सीमा तक रखा गया है ।

किसी संविदात्मक राष्ट्रों द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी सूचना की व्याख्या करने के क्रम में हमें आवश्यक रूप से जहां तक संभव हो सके उक्त अधिनियम की धारा 57 के तहत अनुरोध पत्र भेजा जाना चाहिए ताकि ऐसी सूचना को उक्त अधिनियम के तहत जब्ती, न्यायनिर्णयन अथवा अभियोजन के लिए कार्यवाहियों में एक भरोसेमंद सबूत के तौर पर माना जाए। अतः यदि कुर्की की कार्यवाही अपेक्षित हो तो आवश्यक रूप से औपचारिक पत्र भेजा जाए । फिर भी प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार पारस्परिक विधि सहायता के लिए एक औपचारिक अनुरोध से आपसी सहायता के आधार पर किसी भी सहायता का स्वागत करता है ।

पी.एम.एल.ए. 2002 की धारा 2(1) (यू) के तहत 'अपराध से अर्जित आय' की परिभाषा ने भारत के बाहर जाने वाली अपराध से अर्जित आय के समावेशन को आगे और विस्तारित किया है, अपराधी की भारत में मौजूद समानंतर परिसंपत्तियां, जब्त और कुर्क किए जाने योग्य हैं ।

II. भारत की ओर से संपत्तियों का नियंत्रण, अभिग्रहण और समाहरण/जब्तीकरण कैसे मांगा जाता है

भारत की ओर से अपराध से अर्जित संपत्तियों के नियंत्रण, अभिग्रहण और समाहरण/जब्तीकरण मांगे जाने के क्रम में, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए :

1. परिसंपत्ति की पहचान करना

भारत के भीतर भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों की वसूली के क्रम में, सबसे पहले उसकी पहचान किया जाना आवश्यक है कि क्या यह अनुरोध औपचारिक है अथवा अनौपचारिक । यह पहचान किया जाना भी आवश्यक होगा कि संदिग्ध और उससे संबंधित सभी इकाईयां जिनके माध्यम से अपराधी ने यह संपत्ति अर्जित की है जिनमें कंपनियां, कारोबार, स्वयं के नाम पर अथवा उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रस्ट आदि शामिल है । भारत में परिसंपत्तियों की पहचान में सहायता करने के क्रम में, निम्नलिखित तंत्र उपलब्ध हैं :

- अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले केन्द्रीय प्राधिकारी से विचार–विमर्श करना : अनुरोध करने वाला देश भारतीय केन्द्रीय प्राधिकरणों अर्थात् अवर सचिव (विधिक) (आंतरिक सुरक्षा प्रभाग–II), गृह मंत्रालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001 को गंभीर मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के लिए अग्रिम रूप से एक अनुरोध करते हुए, यह सुनिश्चित करना होता है कि इसे भारत की विधियों के तहत उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत मांगा जा रहा है और यह अनुरोध भारत की विधिक अपेक्षाओं को पूरा करता है। भारत को अनुरोध पत्र भेजने के लिए मूल आवश्यकता परस्पर विधिक सहायता है ।

- कथित अपराधों के अनुपात में अनुरोध सुनिश्चित करना : अनुरोध भेजने वाले देश को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि सहायता के लिए अनुरोध अन्वेषित किए जा रहे अपराध के स्तर के अनुपात में है। अनुरोध करने वाले देश को सबूतों को इकट्ठा करने में शामिल समानुपाती लागत और मामले की गंभीरता को देखते हुए सबूतों की आवश्यकता पर विचार करने पर जोर दिया गया है ।

- सहायता मांगने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र का उल्लेख करना : अनुरोध भेजने वाले देशों को निष्ठापूर्वक संधियों, समझौतों (यूएनसीएसी, यूएनटीओसी, ओईसीडी भ्रष्टाचार विरोधी समझौता अन्य) अथवा भारत से मांगी जा रही सहायता के संबंध में सहयोग के अन्य तरीकों का उल्लेख करना आवश्यक है ।

- अन्वेषण/अभियोजन करने वाले प्राधिकरण की पहचान :– उस प्राधिकरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो अन्वेषण तथा अभियोजन कर रहा है ।

- मामले का विवरण : जांच के अधीन अथवा अभियोजन के तहत चल रहे मामले की एक विस्तृत रूपरेखा मुहैया करवाई जाए जिनमें साक्ष्यों का विवरण शामिल है, जो अन्वेषण और अभियोजन में सहायता प्रदान करते हैं । इस रूपरेखा में निम्नलिखित को भी शामिल किया जाए :–

- यदि गवाह का ब्यान/शपथपत्र मांगा जा रहा है तो अनुरोध पत्र के साथ उसका पूरा पता/पहचान का विवरण तथा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची का उल्लेख करें ।

- यदि कागजी साक्ष्य की आवश्यकता है तो उस प्राधिकरण का उल्लेख करें जिससे यह कागजात एकत्र किए जाने हैं ।

- यदि किसी तलाशी वारंट को तामील कराना

हो तो उसका पूरा पता/परिसरों के स्वामी के बारे में विवरण का उल्लेख करें जहां पर तलाशी ली जानी है ।

- यदि अपराध से अर्जित संपत्ति का समाहरण/जब्ती किए जाने का अनुरोध किया जाता है तो कृपया अपराध से अर्जित संपत्ति का पूरा ब्यौरा और वह साक्ष्य भी दिखाएं जिससे वास्तविक रूप से अपराध से अर्जित संपत्ति बनाई गई है ।

- कॉपोरेट कार्य मंत्रालय तथा स्थानीय निकायों में उपलब्ध कारोबार का रिकॉर्ड ।

- व्यक्तिगत आयकर, व्यापार/कंपनी कर आदि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का रिकॉर्ड।

- गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, विदेशी अंशदानों आदि का रिकॉर्ड ।

- अन्वेषण सहायता – साक्षात्कारों, सर्वेक्षण, तलाशी आदि ।

- लागू विधिक प्रावधानों को निर्धारित करना :– लागू शास्तियों सहित अन्वेषण और/अथवा अभियोजन के तहत सभी संगत विधिक प्रावधानों के शब्दशः पाठ की पहचान करना और निर्धारित करना ।

- माँगी गई सहायता की पहचान करना : उस विशिष्ट विषय की रूप रेखा प्रस्तुत करना जो सही रूप में भारत से मांगी जा रही है और कोई विशेष आवश्यकता जो पूरी की जानी आवश्यक है उदाहरण के तौर पर प्रमाणीकरण और अधिप्रमाणन ।

- किसी विशिष्ट गोपनीय आवश्यकताओं को दर्शाना : भारत में सहायता के लिए अनुरोधों की प्रकृति और प्रकार गोपनीय होना चाहिए। फिर भी कुछ के मामले में खुलासा अवश्य किया जाए, विशेष रूप से जहां पर सहायता मुहैया करवाने के लिए आवश्यक उपाय किया जाना अपेक्षित है, यदि आप का मामला विशेष रूप से संवेदनशील है तो गोपनीयता के लिए आवश्यकता तथा कारणों को अनुरोध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

- अनुरोध के निष्पादन में किसी तात्कालिकता की पहचान करना : अपेक्षित अनुरोध के अनुपालन के लिए किसी समय सीमा की और समय निर्धारित करने के कारणों की पहचान करना (उदाहरण के तौर पर लम्बित न्यायालय कार्यवाही/समय संवेदनशील अन्वेषण आदि) । यदि आप समयावधि का उल्लेख करते हैं तो निश्चित तिथि निर्धारित करें ।

- संबंधित संपर्क बिन्दुओं की एक सूची मुहैया कराना : मामले से जुड़े प्रमुख विधि प्रवर्तन/अभियोजन प्राधिकरणों के लिए नामों तथा संपर्क नम्बरों की एक सूची शामिल है । अनुरोध करने वाले देशों को जहां लागू हो, वहां उन नामों तथा इसके केंद्रीय प्राधिकरण की संपर्क सूचना उपलब्ध शामिल की जाए, भारत के मामलों में केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात् गृह मंत्रालय(विधिक) (आंतरिक सुरक्षा प्रभार) से स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के प्रयोजन से संपर्क स्थापित किया जा सकता है ।

- अनुरोध का अनुवाद : भारत में पारस्परिक विधिक सहायता के लिए आने वाले अनुरोधों को अंग्रेजी में लिखा जाना अपेक्षित है । सहायक दस्तावेज यदि अंग्रेजी में नहीं हैं तो उनका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया जाए ।

- उपलब्ध करवाये गए साक्ष्यों के इस्तेमाल के

संबंध में सीमा निर्धारित करना : यह नोट किया जाए कि कोई भी साक्ष्य जिसे भारत ने एक पारस्परिक विधिक सहायता अनुरोध के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाया है उस साक्ष्य का अनुरोध में बताये गए विशिष्ट परियोजन के लिए ही उपयोग किया जाए । यदि उस साक्ष्य का आगे और इस्तेमाल किया जाना अपेक्षित है तो अनुरोध भेजने वाले देश को भारत से पहले अनुमति ली जानी चाहिए ।

2. विदेशी अपराधों से संबंधित संपत्ति की कुर्की

(क) जब संपत्ति की पहचान कर ली गई होती है तो भारत एक विदेशी गिरफ्तार अथवा आरोप के आधार पर संविदात्मक देश में अवस्थित परिसंपत्तियों को नियंत्रण में लेने, उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने और कब्जा करने के आदेश के माध्यम से परिसंपत्तियों की वसूली के लिए सहायता के तरीके का प्रस्ताव करता है अथवा सांविधिक जब्तीकरण/कुर्की, आर्थिक दंड के आदेशों तथा सहायक परिसंपत्ति आदेशों सहित एक विदेशी अपराध के आरोप में अपराधी साबित हुए व्यक्ति के संबंध में विदेशी आदेशों तथा निर्णयों को प्रवर्तित करने के माध्यम से उसकी परिसंपत्तियों को जब्त करने हेतु सहायता मांगता है ।

(ख) जब किसी संविदात्मक देश की ओर से एक न्यायालय अथवा एक प्राधिकरण के जरिए केंद्र सरकार द्वारा भारत में संपत्ति की कुर्की अथवा जब्तीकरण का एक अनुरोध पत्र प्राप्त किया जाता है जो संविदात्मक देश में पी.एम.एल.ए. 2002 की धारा 3 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न अथवा प्राप्त करना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई अपराध करता है तो केंद्रीय सरकार पी.एम. एल.ए. 2002 के प्रावधनों के अनुसार यदि वे उचित समझें तो निदेशक को उक्त अनुरोध पत्र भेज सकती है ताकि उस पर कार्यवाही हो सके ।

(ग) निदेशक धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 58 अथवा धारा 59 के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसी संपत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्राधिकरण को निर्देश दे सकते हैं ।

(घ) उपधारा (3) में कदम उठाने के संबंध में किसी भी बैंक अथवा लोक वित्तीय संस्थानों अथवा अन्य किसी संबंधित मामलों में किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, परिसंपत्ति, कागजातों, लेखा पुस्तकों के संबंध में जांच–पड़ताल, अन्वेषण अथवा सर्वेक्षण शामिल किया जा सकता है ।

(ङ) उपधारा (4) के संबंध में किसी जांच–पड़ताल, अन्वेषण अथवा सर्वेक्षण, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी कुछ दिशा–निर्देशों के अनुसरण में उपधारा (3) में उल्लिखित किसी प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है।

(च) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अध्याय–III में समाविष्ट केंद्रीय सरकार के अधिकार में आने वाली संपत्तियों के जब्तीकरण, न्यायनिर्णयन, कुर्की तथा अध्याय–V में समाविष्ट सर्वेक्षण, तलाशी तथा अधिग्रहण करने से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान उस संपत्ति पर लागू होंगे जिनके संबंध में संपत्ति के जब्तीकरण और कुर्की किए जाने के लिए किसी न्यायालय या संविदात्मक देशों से अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है ।

(छ) जब भारत में स्थिति किसी संपत्ति का इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक संविदात्मक देश से किए गए अनुरोध के निष्पादन के परिणामस्वरूप जब्तीकरण किया जाता है तो केंद्रीय सरकार अनुरोध करने वाले देश को वह संपत्ति या तो वापस कर सकती है अथवा आपसी सहमति से उस संपत्ति को बेच सकती है जब्त संपत्ति की वापिसी अथवा उसे बेचे जाने के संबंध में अन्वेषण, अभियोजन अथवा न्यायिक कार्यवाहियों में होने वाले यथोचित खर्च का वहन किया जावेगा ।

3. परिसंपत्तियों की बिक्री/आय

किसी विदेशी राष्ट्र को जब्त परिसंपत्तियों से होने वाली आय के संबंध में, पी.एम.एल.ए. की धारा 60(7) से संबंधित प्रावधानों में उस राष्ट्र की संपत्तियों की वापिसी अथवा बिक्री मामले दर मामले के आधार पर एक औपचारिक परस्पर करार किया जाना अपेक्षित है।

ए. सी. सिंह
उप विधिक सलाहकार
मुख्यालय कार्यालय

फेमा और भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है।

जनवरी 2016 से शुरू करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 मास्टर निदेश जारी किए हैं जिनमें विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों को कवर किया गया है। विदेशी विनिमय पर जारी किए मास्टर निदेशों में संगत विनियमों के दायरे के अंदर अब तक जारी किए गए संशोधित ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्रों को समेकित किया गया है और ये विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत अनुमत विभिन्न प्रकार के लेनदेनों को कवर करते हैं। जारी किए मास्टर निदेशों में रिज़र्व बैंक, बैंकिंग मुद्दों और विदेशी विनिमय लेनदेनों सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों और विनियमों पर अनुदेशों को समेकित किया गया है। वर्ष के दौरान नियमों विनियमनों या नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना परिपत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मास्टर निदेशों को उचित रूप से और नियमों/विनियमों में किसी प्रकार का बदलाव होने या नीति में किसी प्रकार का बदलाव होने के साथ ही अद्यतन किया जाएगा। सभी प्रकार के परिवर्तनों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर निदेशों में दर्शाया जाएगा और इसके साथ परिवर्तन होने वाली तारीख भी दर्शायी जाएगी। मास्टर निदेशों के जारी होने के बाद प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से नियमों और विनियमों के स्पष्टीकरणों को समझने में आसान भाषा में जारी किया जाएगा जहां आवश्यक होगा, विभिन्न विषयों पर जारी मौजूदा मास्टर परिपत्र उस विषय पर मास्टर निदेश के जारी होने के साथ ही वापस लिए माने जाएं।

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Bowworing - ECB): 30 नवंबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 10 वर्षों में बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के प्रबंधन में प्राप्त अनुभव और समष्टि आर्थिक विकास पर विचार करते हुए, भारत सरकार के साथ विचार–विमर्श से मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार की रूपरेखा, जिसे 1 अगस्त 2005 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 द्वारा जारी किया गया था, की समीक्षा करने के बाद इस नए परिपत्र द्वारा संशोधित ईसीबी रूपरेखा जारी की है। संशोधित रूपरेखा के महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नानुसार हैं :–

i. लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधारों के संबंध में और अधिक उदार दृष्टिकोण, अंतिम उपयोग और उच्चतर समग्र लागत सीमा आदि पर कम प्रतिबंध ताकि अवधि विस्तार से उधारकर्ता के लिए भुगतान अधिक सुसह्य और विस्तारणीय जोखिम कम हो जाती है;

ii. इसी तरह भारतीय रुपए (आईएनआर) में मूल्यवर्गित ईसीबी के लिए और अधिक उदार दृष्टिकोण; जहां ऋणदाता द्वारा मुद्रा जोखिम का वहन किया जाता है;

iii. विदेशी उधारदाताओं की सूची का विस्तार ताकि उसमें राष्ट्रिक धन निधियां (सॉवरेन वेल्थ फंड्स), पेंशन फंड, बीमा कंपनियों की तरह दीर्घावधि उधारदाताओं को शामिल किया जा सके;

iv. दीर्घावधि ईसीबी और भारतीय रुपए (आईएनआर) में मूल्यवर्गित ईसीबी के लिए लागू अंतिम उपयोग आवश्यकताओं की केवल एक छोटी सी नकारात्मक सूची;

v. 3 साल की न्यूनतम औसत परिपक्वता (एमएएम) के साथ छोटे मूल्य के ईसीबी की सीमा में मौजूदा 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से 50 मिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि

vi. भारत सरकार के साथ सामंजस्य से ईसीबी के लिए पात्र बुनियादी ढांचे संबंधी संस्थाओं की सूची का संरेखन।

विदेशों से निधि प्रवाह को आकर्षित करने के एक साधन के रूप में ईसीबी के लिए रूपरेखा, विकसित हो रही समग्र आर्थिक स्थिति के अनुरूप पूंजी खाता प्रबंधन नीति की जांच में भी एक प्रमुख साधन के रूप में बनी रहेगी। अनुभव और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आधार पर एक वर्ष के बाद दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। संशोधित ईसीबी रूपरेखा में तीन ट्रैक हैं:

ट्रैक I	3/5 साल की एमएएम के साथ मध्यम अवधि की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ईसीबी
ट्रैक II	10 साल की एमएएम के साथ दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ईसीबी
ट्रैक III	3/5 साल की एमएएम के साथ भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित ईसीबी

पुनरीक्षित बाह्य वाणिज्यिक उधार फ्रेमवर्क के लिए पैरामीटरों एवं अन्य शर्तों को निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश इस परिपत्र में दिए गए हैं। स्वचालित मार्ग में जहां कंपनियों (एंटिटियों) को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने/उगाहने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त करने की अपेक्षा/आवश्यकता नहीं है एवं अनुमोदन मार्ग में जहां बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने/उगाहने हेतु रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है, दोनों मार्गों के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी मानदण्ड भी दिए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित उधारकर्ता की होगी कि बाह्य वाणिज्यिक उधार लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप ही हैं तथा यह नोट करे कि ये पैरामीटर एकल आधार पर लागू न हो कर, समग्रता में लागू हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत दण्डात्मक कार्रवाई को आकृष्ट कर सकते हैं। नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/कों से यह अपेक्षित है कि वह/वे अपने ग्राहक/कों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित कराएं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे यथा उधार लेने वाले का नाम, राशि, प्रयोजन और स्वचालित तथा अनुमोदन मार्ग के तहत संविदागत बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता से संबंधित सूचना/एवं प्रसार हेतु रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर मासिक आधार पर, संबंधित माह के अंतराल पर, प्रदर्शित की जाएगी/जाएंगी।

2. **''करेंसी'' की परिभाषा**

29 दिसंबर 2015 को जारी **अधिसूचना सं. फेमा. 15 (आर) 2015–आरबी** के द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (एच) के अनुसरण में, और समय–समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 15/2000 आरबी को अधिक्रमित करते हुए, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड अथवा किसी और नाम से अभिहित अन्य लिखत, जिनका प्रयोग वित्तीय दायित्व (Liability) को सृजित करने के लिए हो, को 'करेंसी' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

3. **भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

i) **स्टार्ट अप्स के लिए विनियामक रियायतें – शेयर जारी करना: 11 फरवरी 2016** को जारी **ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 52** द्वारा स्टार्ट अप्स के मामले में मौजूदा विनियामक ढांचे के तहत कतिपय अनुमत लेनदेनों को जिनमें से एक मुद्दा नकदी भुगतान किए बिना निवेशक द्वारा स्वेट इक्विटी जारी करना अथवा कंपनी द्वारा बकाया किसी

न्यायसंगत भुगतान, जिनके विप्रेषण के लिए फेमा, 1999 के अंतर्गत कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, पर शेयर जारी करने से संबद्ध है, यह स्पष्ट किया कि

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 जून 2015 की अधिसूचना सं फेमा 344/2015–आरबी के तहत भारतीय कंपनियों को स्वेट इक्विटी जारी करने की अनुमति दी है । यह अनुमति अन्य बातों के साथ–साथ, इस शर्त के तहत दी जाएगी कि सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के विनियमों अथवा अन्य कंपनियों के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स) नियमावली 2014 की शर्तों का अनुपालन किया जाए।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जुलाई 2014 की अधिसूचना सं फेमा 315/2014–आरबी के तहत भारतीय कंपनियों को निवेशक कंपनी द्वारा देय किन्ही अन्य निधियों (उदाहरण के तौर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अर्जन या उपयोग हेतु भुगतान, वस्तुओं का आयात, लाभांशों का भुगतान, ब्याज भुगतान, परामर्श शुल्क आदि) पर इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति दी है, जिसके विप्रेषण के लिए भारत सरकार अथवा फेमा, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक नही है, बशर्तें सेक्टरल कैप्स, कीमत संबंधी दिशा–निर्देशों सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा और लागू टैक्स संबंधी कानून [संदर्भ : विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2015) की अनुसूची 1 का पैरा 3] की शर्तों का अनुपालन किया जाए।

ii) **बीमा क्षेत्र** – 31 मार्च 2016 को जारी **ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 58** के द्वारा यह सूचित किया गया कि भारत सरकार ने **बीमा क्षेत्र** से संबन्धित मौजूदा **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति** की समीक्षा करते हुए बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत मौजूदा विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत की है।

iii) **अनिवासी भारतीयों** (NRIs) **द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** (NPS) **में अभिदानः 29 अक्तूबर 2015** को जारी **ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 24** द्वारा यह सूचित किया गया कि वृद्धावस्था में आय संबंधी सुरक्षा योजना तक अनिवासी भारतीयों की पहुंच के मद्देनज़र, भारत सरकार के परामर्श से, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार, अनिवासी भारतीय (NRIs), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रबंधित एवं प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अभिदान कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे अभिदान सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत किए जाएं और अभिदाता व्यक्ति पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम। के उपबंधों के अनुसार निवेश करने के लिए पात्र हो। अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा ऐसे अभिदान की राशि का भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत आवक विप्रेषण से अथवा उनके NRE/FCNR/NRO खातों में जमा निधियों से किया जा सकेगा। इसमें वार्षिकी (annuity)/संचित जमा राशियों के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

नीता बेहरामफ्राम
उप निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ वर्ष (2015–16)

क. संगठन और कार्यकलाप :

संगठनात्मक संरचना :

प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख प्रवर्तन निदेशक हैं। निदेशालय के अन्य अधिकारी विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप विधिक सलाहकार, उप निदेशक, सहायक विधिक सलाहकार, सहायक निदेशक, प्रवर्तन अधिकारी, सहायक प्रवर्तन अधिकारी और अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सहायता करते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रवर्तन में निदेशालय की बढ़ी हुई भूमिका को देखते हुए, मार्च 2011 को सरकार द्वारा निदेशालय की संख्या को पुनर्गठित किया था। एक जांच अभिकरण के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले अधिकारियों की भर्ती सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय नए कार्यालयों को खोलने के साथ साथ चरणबद्ध पद्धति से पदों को भरने की प्रक्रिया में है। निदेशालय का मुख्यालय कार्यालय नई दिल्ली में है और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चण्डीगढ़ में 05 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा, 16 जोनल कार्यालय एवं 13 उप जोनल कार्यालय हैं। निदेशालय के कार्मिकों की कुल संख्या अब 2064 हो गई, दिनांक 31.03.2016 तक 697 पदों को भरा गया है।

ख. कार्यकारी स्कंध का काम काज :

प्रवर्तन निदेशालय दो अधिनियमों अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का कार्यान्वयन करता है। दिनांक 01.06.2000 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) को फेमा से प्रतिस्थापित किया गया है। निदेशालय निरसित हुए फेरा, 1973 के बाकी बचे कार्य भी जारी रखे हुए है। निदेशालय कोफेपोसा, 1974 के प्रावधानों को भी कार्यान्वित करता है।

ग. वर्ष 2015–16 के दौरान फेमा, फेरा एवं पीएमएलए के प्रमुख सांख्यिकीय आंकडे

विषय	न्यायनिर्णीत मामले	लगाई गई शास्तियां (लाख रु में)	वसूली गई (लाख रु में)
फेमा	644	8348	2819
फेरा	268	1478	120

पीएमएलए	आंकडे
ई सी आई आर की संख्या	111
जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	105
कुर्की के अधीन संपत्तियों का मूल्य (करोड़ रु में)	1994
पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	117
न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए गए अनंतिम कुर्की ओदशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ रु में)	2949
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सख्या	32
मामलों की सख्या जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई	76

ड. ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियाँ

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने–अपने एलएएन हैं, जो एनआईसीनेट डब्लूएएन से जुड़ा है, प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पत्र एक्सेल शीट और ग्राम तैयार करने जैसी प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कार्यालय आटोमेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरंभ की गई कुछ ई गवर्नेंस गतिविधियां निम्नानुसार हैः–

(i) **वेबसाइट** – निदेशालय की वेबसाइट में हिंदी और अंग्रेजी में सामग्री डाली गई है, जिसमें नागरिक इस कार्यालय से संबंधित सूचना, प्रवर्तित विभिन्न अधिनियमों और अन्य संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) **एफटीएस** – प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय कार्यालय में फाइल संचलन की मॉनीटरिंग के लिए एक फाइल ट्रेकिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

(iii) **कॉम्प डीओ** – अपने कार्मिकों के वेतन प्रबंध के लिए एक पे रोल प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

(iv) **ई–मेल** – कार्मिकों को एनआईसी ईमेल आईडी प्रदान की गई है।

(v) **वीडियो कॉफ्रेंसिंग** – निदेशालय में एक वेब आधारित वीडियो कॉफ्रेंसिंग प्रणाली आरंभ की गई है।

(vi) **मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)** – फेरा, फेमा और पीएमएलए से संबंधित मामलों की मासिक प्रगति रिपोर्ट के संबंध में सांख्यिकीय सूचना की प्रविष्टि तथा समेकन के लिए एक वेब आधारित एपलीकेशन विकसित किया गया है।

(vii) **मासिक समेकित प्रपत्र (एमआईपी)** – पीएलएलए के लिए मासिक समेकित प्रपत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि तथा समेकन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

(viii) **कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)** यह किसी कर्मचारी की विभिन्न रिपोर्टों के भंडारण, प्रक्रिया और सृजन हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह किसी कर्मचारी के मौजूदा पद, तैनाती स्थल, निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और पद, संस्वीकृत पद की सूचना, निदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पद और खाली पड़े पदों की सूचना प्रदान की जाती है।

(ix) **विधिक मामले मॉनीटरिंग प्रणाली (एलसीएमएस)** – यह उच्चतम न्यायालय, पीएमएलए अधिकरण, पीएमएलए न्याय निर्णयन प्राधिकरण और पीएमएलए विशेष न्यायालय में निदेशालय अथवा पार्टी द्वारा दायर विधिक मामलों की स्थिति को मॉनीटर करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह याचिका संख्या, याचिकाकर्ता का नाम, प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका संबंधित जोन का नाम, ईसीआई आर संख्या, पीएओ संख्या आदि जैसी सूचना लेता है यह पिछली सुनवाई की तारीख पर मामले की स्थिति / प्रगति का रिकार्ड रखता है।

(x) **प्रवर्तन निदेशालय अपराधी निगरानी प्रणाली (ई–डोट)** – टी–3 फाइल की स्थिति से आरंभ होकर मामलों से संबंधित और पीएमएलए के लिए डाटाबेस लेने और तैयार करने की दृष्टि से फेमा और पीएमएलए मामले हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है। यह एएसपी में विकसित किया गया है। प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता के अनुकूल अंतरापृष्ठ मुहैया करवाने के लिए नेट प्रौद्योगिकी तथा भंडारण एवं डाटा हेतु एक बैकएंड डाटाबेस के रूप में एसक्यूएल सर्वर।

फार्मों को प्रयोक्ता अनुकूल अंतरापृष्ठ से डिजाइन किया गया है।

(xi) **सूचना पट्ट एपलीकेशन** – विभिन्न परिपत्रों / डाउनलोड योग्य फॉर्मों/ प्रशिक्षण संबंधी सूचना / फेमा / पीएमएलए के तहत महत्वपूर्ण निर्णयों आदि को अपलोड / प्रकाशन / देखने के लिए एक नया एप्लीकेशन नोटिस बोर्ड विकसित किया गया है। अपलोड की गई सूचना को प्रमुख श्रेणी और उसके बाद उप श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। लॉगिन करने पर, यह सभी व्यू प्रमुख श्रेणियों की सूची प्रदर्शित करने के लिए हाइपरलिंक्ड में बदल जाएगा। यह एप्लीकेशन एक भूमिका पर आधारित हैं और इसमें चार पूर्व निर्धारित रोल अर्थात् एडमिन, एंट्री, पबलिश एवं व्यू हैं। इसमें श्रेणी, परिपत्र, वर्ष, परिपत्र संख्या और विषय जैसे विभिन्न पैरामीटर्स पर होने वाले प्रश्नों के लिए आगे और विकल्प हैं।

ड. शिकायत सुधार तंत्र

लोक/स्टाफ शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यालय कार्यालय तथा जोनल /उप जोनल कार्यालय में शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं। तथा शिकायतों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

च. नि:शक्तता क्षेत्र और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों हेतु किए गए कार्यकलाप

निदेशालय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करता है वर्ष 2015–16 में सीधी भर्ती द्वारा 08 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों को नियुक्त किया गया।

छ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वर्ष 2015–16 के दौरान, निदेशालय में 160 सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका निर्धारित अवधि के भीतर तत्परता से निपटान कर दिया गया था।

ज. तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलन

निदेशालय द्वारा 2015–16 के दौरान निदेशक महोदय की अध्यक्षता में 04 तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी–सम्मेलनों का मुबंई, जयपुर, दिल्ली एवं बंगलौर में सफल आयोजन किया गया। इन तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी–सम्मेलनों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और निदेशालय से संबंधित कुछ अहम मुद्दों जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लक्ष्य निर्धारण, स्थापित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्मुख की गई समस्याओं के निवारण आदि पर निर्णय लिए गए।

निरंजन सुबुद्धि
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 के संकल्प संख्या 1/20012/1/87–रा. भा. (क–1) की प्रति

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। धारा 4 (2) के अधीन इस समिति में बीस सदस्य लोक सभा से और दस सदस्य राज्य सभा से नियुक्त किए गए। समिति ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम खंड राष्ट्रपति को जनवरी, 1987 में प्रस्तुत किया, जिसमें समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद प्रशिक्षण संदर्भ और संपूरक साहित्य के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। प्रतिवेदन के प्रथम खंड अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार तारीख 8 मई, 1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया तथा इसकी प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई चूंकि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में होने वाले कामकाज से था अतः इस संबंध में उनसे भी राय ली गई।

2. राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित के अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :–

(क) शेष के अनुवाद कार्य को पूरा करना

(1) फार्मों का अनुवाद मुद्रण और प्रयोग

समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की उपधारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले संविदाओं और करारों, लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिंदी में अनूदित कराने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा सकें या भरे जा सकें। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करें।

(2) कोडों और मैनुअलों आदि के अनुवाद के लिए समय–सीमा का निर्धारण

समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन कोडों, मैनुअलों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है उनके अनुवाद की व्यवस्था तत्काल की जाए जिससे यह कार्य 1987 के अंत तक पूरा हो जाए।

समिति द्वारा निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। शेष अनुवाद कार्य की मात्रा को देखते हुए रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा अनुवाद के लिए शेष अपने कोडों, मैनुअलों आदि का तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि के अनूदित न हुए कोडों और मैनुअल के अनुवाद का कार्य अगले तीन वर्षों में अर्थात् 1991 के अंत तक पूरा किया जाए। रक्षा मंत्रालय में चूंकि अनुवाद के लिए शेष कोडों और मैनुअलों की संख्या बहुत अधिक है अतः रक्षा मंत्रालय इस कार्य को वर्ष 1994–95 के अंत तक पूरा करे।

(3) विधि पुस्तकों और निर्णयों के अनुवाद का कार्य

(I) समिति ने यह सिफारिश की है कि विधि/निर्णय पुस्तकों, प्रिवी काउंसिल (1887–1950), फेडरल कोर्ट और उच्चतम न्यायालय (1950–1968) द्वारा किए गए निर्णयों के अनुवाद का कार्य शीघ्र किया जाए तथा इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए।

इस सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि जो निर्णय अब प्रसांगिक नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, जिनका सार देने से काम चल सकता है, उनका सार मात्र तैयार किया जाए और शेष का अनुवाद किया जाए। अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे।

(II) संसदीय विधियों का हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के पैरा–II के अनुसरण में, संसदीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कार्य के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

संसदीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का कार्य विधायी विभाग के राजभाषा खंड में पहले ही किया जा रहा है। जहां तक विधेयकों का संबंध है, सरकारी विधेयकों के अनुवाद का कार्य विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करेगा। प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के हिंदी अनुवाद का कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय करेगा । प्रारंभ में अन्य भारतीय भाषाओं में प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के अनुवाद का काम भी विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे। बाद में इसे लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है।

(III) राज्यों के अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अनुसरण में राज्यों के अधिनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

राज्यों के अधिनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने का काम राज्य सरकारों का है । इस सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाए ।

(4) प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद

समिति ने प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबंध में यह सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण सामग्री का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अग्रता के आधार पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए तथा इस कार्य को समयबद्ध योजना बनाकर अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

(5) प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के लिए व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के निर्धारित कोडों, मैनुअलों/फार्मों और प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद की वर्तमान व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाए। यह काम इस समय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के केंदीय अनुवाद ब्यूरो, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय के डाक विभाग तथा दूर संचार विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में किया जा रहा है । समिति ने सिफारिश की है कि वहीं पर यह कार्य किया जाता रहे तथा उन्हें इसके लिए उपयुक्त स्तर के अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। संबंधित मंत्रालय/विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(6) द्विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद व्यवस्था

समिति ने यह सिफारिश की है कि दैनिक तथा सतत् रूप से चलने वाले सामान्य कार्यों में भी सरकार की द्विभाषिकता की नीति के सफल संचालन के लिए लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करना होगा ताकि राजभाषा नीति संबंधी कार्यान्वयन का कार्य भी पिछड़ने न पाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(7) राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए अनुवाद व्यवस्था

समिति ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए अपेक्षित अनुवाद व्यवस्था के बारे में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों आदि के देश–विदेश स्थित ऐसे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में जहां इस समय एक भी अनुवादक नहीं है, वहां भी राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जो–जो कार्य द्विभाषिक रूप में किए जाने हैं उन्हें द्विभाषिक रूप में ही किया जाए और इसके लिए समुचित अनुवाद व्यवस्था की जाए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(8) उपक्रमों के विधि साहित्य का अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि विधायी के राजभाषा खंड को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाए कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के सांविधिक साहित्य के अनुवाद कार्य का दायित्व भी भली–भांति वहन कर सके ।

इस सिफारिश पर विचार किया गया । विधायी विभाग का राजभाषा खंड केवल सरकारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अनुवाद कार्य के लिए है । बैंकों, बीमा कंपनियों और बड़े उपक्रमों को अपने विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए । विधायी विभाग का राजभाषा खंड उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ मानक प्रारूप तैयार कर देगा और विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा । छोटे उपक्रमों, जिनके लिए यह व्यवस्था स्वयं करना व्यवहारिक न हो, के लिए उचित व्यवस्था का प्रबन्ध उद्योग मंत्रालय का लोक उद्यम ब्यूरो, स्टेडिंग कन्फ्रेंस आन पब्लिक इंटरप्राइजिज (स्कोप) के माध्यम से या किसी और प्रकार से करने का प्रयत्न करे ।

(9) अनुवाद संबंधी पदों का सृजन

समिति ने सिफारिश की है कि अनुवाद संबंधी पदों के सृजन की नीति व्यावहारिक और उदार हो और मंत्रालयों/विभागों आदि को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करना अनिवार्य और अपेक्षित है वहां इसके लिए अनुवादक आदि की नियुक्ति करें। इसके लिए किसी प्रकार की रोक न हो तथा जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हों उनमें भी समुचित अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें । जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हों उनमें भी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदेय के आधार पर अनुवाद का प्रबन्ध करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(10) अनुवादकों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करना

विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री के अनुवाद के स्तर में सुधार के लिए समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवादकों के भर्ती नियमों में विशेष प्रकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव एवं योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाए । इसके अतिरिक्त भर्ती नियमों की पुनरीक्षा इस प्रकार की जानी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, विधि, तकनीकी, इंजीनियरी आदि की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी अंग्रेजी तथा हिंदी में उच्च प्रवीणता होने पर, विभिन्न राजसेवाओं में उच्च पदों पर भर्ती के लिए आकृष्ट किए जा सकें ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें ।

(11) अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अलग–अलग संवर्ग गठित करना

समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों को अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का भी अलग–अलग संवर्ग गठित करना चाहिए।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए, जहां यह संभव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(ग) कोडों, मैनुअलों तथा फार्मों का द्विभाषिक निर्माण तथा संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन और वितरण ।

समिति ने कोडों, मैनुअलों और फार्मों के द्विभाषिक निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(12) द्विभाषिक रूप में निर्माण तथा संशोधन

i. कोड, मैनुअल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य के हिंदी और अंग्रेजी पाठ साथ–साथ तैयार कराए जाएं तथा समय–समय पर किए जाने वाले संशोधनों का अनुवाद भी साथ–साथ हो।

ii. **द्विभाषिक रूप में मुद्रण तथा प्रकाशन** :– अब तक अनूदित अथवा अनुवाद के लिए बाकी कोड, मैनुअल और फार्म, हिंदी अनुवाद उपलब्ध होने पर, द्विभाषी रूप में तुरंत मुद्रित/प्रकाशित किए जाएं । मुद्रण कार्य में विलम्ब न हो, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से करा लिया जाए । यदि इनके द्विभाषिक रूप में मुद्रण/साइक्लोस्टाइल, प्रकाशन अथवा प्रयोग के इस नियम का किसी भी स्थान अथवा स्तर पर उल्लंघन हो तो उसे गम्भीरता से लिया जाए ।

iii. **द्विभाषिक रूप में वितरण** :– कोड, मैनुअल, अन्य प्रक्रिया साहित्य तथा फार्म आदि और उनमें समय–समय पर किए जाने वाले संशोधन मंत्रालयों/विभागों आदि के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और संस्थानों आदि में जहां भी उनका प्रयोग अपेक्षित हो, केवल द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध करवाए जाएं ।

iv. **समन्वय अधिकारी की नियुक्ति** :– मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित सांविधिक और असांविधिक प्रकार के कोडों/मैनुअलों/फर्मों और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद द्विभाषी रूप में मुद्रण और मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी कार्यालयों आदि में उनकी उपलब्धता के बारे में समन्वय की जिम्मेदारी मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए ।

उपर्युक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

(घ) अनुवाद प्रशिक्षण

(13) असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण

समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनुवाद कार्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि सभी अनुवाद कर्मियों को एक समयबद्ध योजना बनाकर अनुवाद प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाया जाए । इसके लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ करनी होगी । जिन अनुवादकों ने अभी तक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें 1988 के अंत तक यह प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करा दिया जाए । इसके लिए आवश्यकतानुसार कोलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और गुवाहाटी जैसे बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र तदर्थ आधार पर तुरंत खोला जाना चाहिए ।

जहां तक प्रशिक्षण के लिए शेष सभी अनुवादकों को उन्हें 1988 के अंत तक प्रशिक्षण दिलाने का प्रश्न है, यह इस अल्पावधि में संभव नहीं है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को वर्ष 1991 के अंत तक अनुवाद प्रशिक्षण देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे । अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय आवश्यकता और वित्तीय साधनों को देखकर किया जाए ।

(14) विधिक सामग्री के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण

समिति ने विधिक अनुवाद प्रशिक्षण के संबंध में सिफारिश की है कि विधिक प्रकार का अनुवाद कार्य करने वाले अनुवादकों का स्तर सुधारने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अथवा स्वयं विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा इस संबंध में अपेक्षित

प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा उनके लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग विधिक सामग्री का अनुवाद करने वाले अनुवादकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करे ।

(15) अनुवाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण

समिति ने अनुवादकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के संबंध में सिफारिश की है कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त अनुवादकों का ज्ञान तथा अनुवाद स्तर बनाए रखने के लिए अनुवाद कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को प्रथम प्रशिक्षण के पांच साल बाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिलाया जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे ।

(16) हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था

समिति ने यह सिफारिश की है कि हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए उच्च कोटि के अनुवाद तथा अनुवाद की पुनरीक्षा के प्रशिक्षण की यथोचित एवं यथावश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/कार्यालयों आदि में सभी स्तर पर एक अत्यन्त कुशल, सुचारु एवं फुर्तीली अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध हो सके ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे ।

(17) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण होने पर विभागीय प्रशिक्षण

समिति के विचार में अनुवाद कर्मियों के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किए जाने पर नए विभाग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उसने यह सिफारिश की है कि अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो तो उन्हें नए विभाग में वहां की विशेष परिस्थिति और शब्दावली आदि समझने और अपनाने के लिए उस विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि का यह प्रशिक्षण विभागीय रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें ।

(ङ) मानक शब्दावली का निर्माण

(18) समिति ने शब्दावली निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

i. **नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना :—** शब्दावली आयोग 1970 के बाद विभिन्न विषयों में प्रचलन में आए हजारों नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करने का काम तत्काल अपने हाथ में ले और अपने शब्द गंथों को अद्यतन बनाने की दिशा में कदम उठाए ।

ii. **शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा :—** समय—समय पर इन शब्दावलियों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन बनाने के लिए इनमें विज्ञान की नई खोजों तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार नई अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त नए शब्द जोड़े जाने चाहिए ।

iii. **निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाना :—** विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण के कार्य

में तेजी लाई जाए ताकि यह कार्य 1988 तक पूरा कर लिया जाए ।

iv. **उच्चस्तरीय समिति का गठन** :– वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्यों के रिक्त स्थान तत्काल भर लिए जाएं तथा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए जो शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन करे ।

यह सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । इनके संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग अपेक्षित कार्रवाई करे । विधि शब्दावली की पुनरीक्षा के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खंड अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(च) मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार–प्रसार और वितरण

(19) समिति ने मानक शब्दावली के प्रयोग तथा उसके प्रचार–प्रसार पर बल देते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

i. **मानक हिंदी पर्यायों का प्रयोग सुनिश्चित करना** :– मानक शब्दावलियों में विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के लिए जो हिंदी पर्याय दिए गए हैं अथवा दिए जाएंगे, उनका ही प्रयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे राजभाषा का मानक रूप उभर कर आए ।

ii. **प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन** :– विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग में उनके ज्ञान का विस्तार हो और उनकी भाषायी क्षमता बढ़ सके ।

iii. **अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान** :– अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान की जाए और सभी आधारभूत शब्दों की सूचियां तैयार कर अहिंदी भाषी राज्यों में राज्य पुस्तक मंडलों को भेजी जाएं और इन राज्यों में स्थित विद्वानों के सहयोग से शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

iv. **शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों का अनुकूलन** :– शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों के अनुकूलन के लिए सभी राज्यों में उपयुक्त एजेंसियां स्थापित की जाएं ताकि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रचित विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य में शब्दावली की अभिष्ट एकरूपता स्थापित हो सके ।

v. **अध्ययन–अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग** :– शब्दावली निर्माण में लगे अभिकरण विषयवार सूचियां विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा प्राध्यापकों को भेजे और राज्यों में जाकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करें, जिससे वे नवनिर्मित शब्दों से परिचित हो सकें और अध्ययन–अध्यापन के दौरान उनका प्रयोग कर सके। ग्रन्थ अकादमियों तथा सरकारी प्रकाशन संस्थानों को भी इस ओर अधिकाधिक ध्यान देना होगा।

vi. **कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना** :– हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की सहायता के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अवश्य कराई जाए ताकि वे अपने रोजमर्रा के काम में उसका प्रयोग कर सकें ।

vii. वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन :— सरकारी स्तर पर हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जाएं । इस क्षेत्र में निजी प्रकाशकों को भी प्रोत्साहित किया जाए। इन पुस्तकों में प्रकाशन की एक पूर्व शर्त यह हो कि इनमें प्रामणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए।

viii. केन्द्रीय सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग :— वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्मित विधि, विज्ञान और तकनीकी शब्दावलियों का केन्द्रीय सरकार के कामकाज में जिसमें कि आकाशवाणी व दूरदर्शन का प्रसारण भी शामिल है, समुचित प्रयोग किया जाए ।

ix. शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण :— वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा निर्धारित और प्रकाशित शब्दावलियां सभी कार्यालयों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाएं ।

x. शिक्षा से संबंधित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना :— शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों आदि को भी वर्तमान और भविष्य में निर्मित की जाने वाली शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वे विभिन्न विषयों के लिए हिंदी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री में उसका यथासम्भव व्यवहार सुनिश्चित करें । इसी प्रकार का अनुरोध ग्रन्थ अकादमियों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी प्रकाशकों से भी किया जा सकता है कि वे विभिन्न विषयों पर अपने प्रकाशनों में इन शब्दावलियों का ही यथासम्भव प्रयोग करें ।

xi. शब्दावली बैंक की स्थापना :— विधि, विज्ञान, तकनीकी और मानविकी के क्षेत्र में निर्मित शब्दावली के भविष्य में कम्प्यूटर द्वारा इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए शब्दावली बैंक का निर्माण तुरंत किया जाए। यह कार्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा जा सकता है ।

xii. विधि शब्दावली का न्यायालयों में वितरण :— विधायी विभाग द्वारा निर्मित विधि शब्दावली का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रतियां देश भर में फैले ऐसे न्यायालयों में भी, जहां हिंदी का प्रयोग किए जाने की सम्भावना हो, निःशुल्क अथवा कम मूल्य पर उपलब्ध रहनी चाहिए ।

xiii. विधि की पाठ्य पुस्तकों में विधि शब्दावली का प्रयोग :— हिंदी माध्यम विधि की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए पाठ्य पुस्तकों में भी, चाहे वे विधि पुस्तकों का अनुवाद हों अथवा हिंदी में मूलतः लिखी जाएं, प्राधिकृत विधि शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित है ।

xiv. विधि शब्दावली का वितरण :— विधायी विभाग विधि शब्दावली की अनेकानेक प्रतियां छपवाकर इसके वितरण की व्यवस्था करे, जिससे कि उसका प्रयोग तथा भाषा में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके ।

उपर्युक्त सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई

हैं । मानक शब्दावली का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने पहले से ही आदेश जारी किए हुए हैं, जिसका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए । उपरोक्त (vi) के बारे में भी निर्देश राजभाषा द्वारा दिए जाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक शब्दावली के प्रचार–प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र तथा पुस्तक प्रकाशन में उसके प्रयोग, शब्दावली बैंक की स्थापना के लिए सिफारिशें में उल्लिखित कार्रवाई शिक्षा विभाग करे ।

इसी प्रकार विधि शब्दावली के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय का राजभाषा खंड करे ।

(छ) मूल प्रारूपण

(20) विधि प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग

i. विधि क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाए ताकि हिंदी में बनी विधियों का निर्वचन कर निर्णय हिंदी में लिखे जाएं ।

ii. कोड, मैनुअलों इत्यादि के मूल प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग ।

भविष्य में नए कोड, मैनुअल आदि का सृजन मूल रूप से हिंदी में किया जाए ।

ये सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई हैं । यद्यपि अभी इन पर पूरी तरह अमल करना संभव नहीं होगा, फिर भी इसके लिए यथासम्भव प्रयास किया जाना चाहिए । विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण के बारे में विधायी विभाग आवश्यक कार्रवाई करे ।

जहां तक कोडों, मैनुअलों का सृजन मूल रूप से हिंदी में किए जाने का संबंध है, राजभाषा विभाग इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(ज) शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिशें:–

(21) समिति ने विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान–विज्ञान के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सिफारिश की है कि देश के अद्यतन विकास के लिए उन्नत देशों की भाषा में प्रकाशित होने वाले ज्ञान–विज्ञान का आवश्यकतानुसार हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं में सीधे और अविलम्ब अनुवाद होना चाहिए जिसके लिए एक नया संगठन स्थापित किया जाए ।

सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्य अपने अधीन वर्तमान संगठनों के माध्यम से उन्हें आवश्यकतानुसार सुदृढ़ बनाकर कराया जाए ।

तद्नुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(22) ज्ञान–विज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिए सन्दर्भ ग्रन्थों और सम्पूरक साहित्य का सृजन

समिति ने ज्ञान–विज्ञान के श्रेष्ठतम साहित्य को छात्र–वर्ग और आम आदमी तक पहुँचाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली, परिभाषा कोष, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें, सन्दर्भ ग्रन्थ और सम्पूरक का सृजन किया जाए तथा हिंदी में उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों में किया जाए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाए ।

(23) हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार

समिति ने हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के बारे में यह सिफारिश की है कि हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार किया जाए और इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(24) उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम

समिति ने यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बना दिया जाए ।

सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करे ।

(25) सन्दर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदर्भ तथा सहायक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए । इस प्रयोजनार्थ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे साहित्य के समुचित रूप से वितरण एवं कार्यालयों द्वारा प्रयोग भी होना चाहिए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग इस बारे में अपेक्षित अनुदेश जारी करे ।

(झ) विधि के क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य सिफारिशें

(26) कानून के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने के लिए एक समन्वित योजना बनाएं ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । विधायी विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(27) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिंदी पाठ

समिति ने कहा है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिंदी पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में व्यवस्था नहीं की गई है और सिफारिश की है कि इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए ।

यह दायित्व दिल्ली प्रशासन का है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भेज दिया जाए ।

(ञ) अनुवाद की भाषा का स्वरूप

(28) समिति ने अनुवाद की भाषा के स्वरूप के संबंध में यह सिफारिश की है कि अनुवाद व्यवस्था में निश्चित रूप से भाषा के उसी स्वरूप को अपनाया जाना भारत की अखण्डता तथा एकता के हित में है

जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ।

(ट) राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम का अनुपालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई

(29) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे । अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है । अतः समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करे ।

यह सिफारिश इस संशोधित रूप में स्वीकार की गई है कि राजभाषा का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन से किया जाए, पर साथ ही नियमों और आदेशों आदि के अनुपालन में दृढ़ता बरती जाए । राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं । मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(ठ) समिति की उपेक्षा के लिए प्रताड़ना

(30) कुछ मंत्रालयों/विभागों ने जिनका उल्लेख प्रतिवेदन के पैरा 11.1.2 में किया गया है, समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिस पर समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने निर्धारित तारीख तक अपेक्षित सूचना न भेजकर समिति की उपेक्षा की है। इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए । इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए ।

राजभाषा विभाग समिति की सिफारिश के अनुसार यथोचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी करें ।

(ड़) राज्य सरकारों से सम्बन्धित सिफारिशें

(31) न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण

समिति ने सिफारिश की है न्यायिक अधिकारियों के पद के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हें राज्य के राजभाषा में प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे निर्णय आदि अपने राज्य की राजभाषा में दे सकें । विधि शब्दावली का उन्हें ज्ञान कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं तथा अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में काम करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपना काम राज्य की राजभाषा में कर सकें ।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए ।

(32) अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में काम करना

समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों को चाहिए कि वे अपने विधि अधिकारियों और अधिवक्ताओं को यह निर्देश दें कि वे न्यायालयों में जहां तक हो सके केवल राज्य की राजभाषा में ही बहस करें ताकि बाद में चलकर सरकारी काम राज्य की राजभाषा में हो सके । यह भी अनिवार्य कर दिया

जाए कि याचिकाओं आदि में विधि शब्दावली का ही प्रयोग हो तथा राज्य सरकारें शपथ पत्र, वैध पत्र और लिखित कथा केवल अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें जिससे अन्ततोगतत्वा यह कार्य पूरा–पूरा राज्य की राजभाषा में हो सके ।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए ।

(33) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय आदि राज्य की भाषा में पारित करना

समिति ने सिफारिश की है कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने निर्णय, डिक्री और आदेश अपने राज्य की भाषा में पारित करें ।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए ।

(34) समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं । उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा :–

(1) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.4 में की गई राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव ।

(2) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.7 में उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था के बारे में सिफारिश ।

जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

जयपुर में एक बाप–बेटे के नशीले पदार्थों के काले कारोबार में शामिल पाए जाने पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत उनकी संपत्तियों और नकदी की कुर्की।

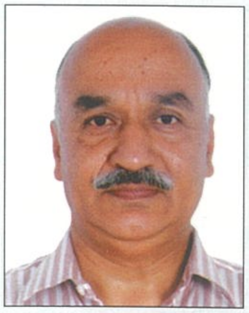

वर्ष, 2002 में राजस्व आसूचना ब्यूरो, जयपुर (डी आर आई) द्वारा जुटाई गई सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ कि जयपुर में एक बाप–बेटा मिलकर नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, डी आर आई ने दोनों के परिसरों की तलाशी ली। इन परिसरों में तलाशी के बाद, अन्य कई मामलों में शामिल होने की सामग्रियों के साथ–साथ 100.642 किलो केटामाइन ड्रग्स को जब्त किया गया। डी आर आई द्वारा की गई जाँच में पाया गया कि दोनों बाप–बेटे यू एस ए, यूरोपियन और एशियाई देशों के कई खरीददारों को अलग–अलग मात्रा बनाकर भारतीय पोस्टल पार्सल के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी, मुख्य रूप से केटामाइन ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे।

डी आर आई, जयपुर ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) मामलों के लिए माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई और बाप एवं बेटे दोनों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2, 8 और 8(क) के साथ पठित धारा 22, 23, 25, 27क और 29 के तहत कैद की माँग की गई।

इस निदेशालय के जयपुर कार्यालय ने बाप और बेटे दोनों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच आरंभ की। इस निदेशालय के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई जाँच से पता चला कि नशीले पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों से उन्हें विदेशों से विभिन्न मनी ट्रांस्फर कोड नम्बर (एम टी सी एन) से वेस्टर्न यूनियन/मनीग्राम जैसी मनी ट्रांस्फर एजेंसियों से लगभग 04 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। उनके द्वारा विदेशों से मिलने वाली धनराशि को छिपाने एवं बांटने के लिए अपने नामों के साथ–साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम से बैंकों में लगभग 50 खाते खोले हुए थे। विदेशों से प्राप्त होने वाले धन में से, वे कुछ धनराशि को सावधि जमा(फिक्सड डिपोजिट) धनराशि में लगा देते थे।

वर्ष, 2002 में, इस निदेशालय के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने करोड़ों रुपए मूल्य की 06 अचल संपत्तियों के साथ–साथ एक करोड़ रुपए से ज्यादा की सावधि जमा राशियाँ भी जब्त की हैं। इस जब्तीकरण की न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा पुष्टि की गई है। बाप–बेटे दोनों की कुर्क संपत्तियों के संबंध में किसी वैध आय का कोई स्रोत नहीं मिला है।

दिनांक 30.03.2015 को जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने बाप और बेटे दोनों को धनशोधन करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत धारा 45(1) एवं उन बाप–बेटे दोनों की ऊपर उल्लिखित कुर्क संपत्तियों को जब्त करने एवं दोनों लोगों को सज़ा दिलवाने हेतु धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 एवं सज़ा योग्य धारा 4 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज करवाई है।

ए. के. कौशल
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

हिंदी शब्दावली की यात्रा

अति प्राचीन समय से अनेक प्राच्य विधाओं, कलाओं, धर्म–साहित्य व अन्य विषयों का ज्ञान भारत में दिया जाता था और देश देशान्तर के विद्वान तथा सुधी विद्यार्थी यहां आकर अपनी रुचि के विषयों का अध्ययन किया करते थे । आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, धर्म–शास्त्रों व कलाओं का क्रमिक विकास चूंकि इस देश की पावन भूमि पर हुआ था इसलिए स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन्हें समझने के लिए उनकी अपने एक पारिभाषिक शब्दावली भी रही होगी। अपने आरंभिक काल में यह शब्दावली संस्कृत की रही होगी और समग्र भारतीय भू–पृष्ठ पर इसका समान रूप से प्रयोग होता रहा होगा । कारण समग्र भारतीय भाषाओं में निहित सांस्कृतिक और सामासिक परिवेश को इस भाषा ने जोड़ रखा था तथा भारत की ही नहीं दुनिया की भी यह एक मात्र व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक भाषा है तथा इसमें विपुल शब्द सम्पदा है। धीरे–धीरे ग्रीक, चीन अरब, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाल आदि देशों के साथ वैचारिक तथा व्यापारिक संबंध होने के कारण कुछ विदेशी शब्द भी भारतीय शब्दावली में आने लगे और अपना स्थान बनाने का प्रयास करने लगे, परन्तु संस्कृत के अत्यधिक वैज्ञानिक व विकसित होने के कारण भारतीय शब्दावली में उन शब्दों की संख्या अत्यन्त सीमित रही। समय के साथ विभिन्न विषयों, क्षेत्रों का क्रमिक विकास होता गया और उनके लिए अलग–अलग शब्दावलियों का विकास क्रम जारी रहा । इस पारिभाषिक शब्दावली में पाली, प्राकृत आदि भाषा के शब्द भी जुड़ते गए । परन्तु यह उल्लेखनीय हे कि इन सभी भाषाओं का विकास भारत भूमि पर और भारतीय संस्कृति के पृष्ठभूमि में हुआ था । अतएव इन भाषाओं की आत्मा बाह्य आकार भिन्न होते हुए भी एक थी ।

पारिभाषिक शब्दावली संबंधी विवाद का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन स्थापित होने के साथ–साथ एक विदेशी भाषा का आगमन हुआ। मुगलों की भाषा संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं से नितांत भिन्न थीं । उसकी लिपि, व्याकरण स्त्रोत एवं पृष्ठभूमि अलग थी । मुगल शासन की भाषा फारसी हुई और भारतवासियों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए शासक की भाषा का अध्ययन करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार भारतीय भाषाओं की शब्दावली में विशेष रूप से प्रशासन एवं विधि संबंधी शब्दावली में अरबी–फारसी के शब्दों का अधिकाधिक समावेश हुआ।

भारतीय भाषाएं इन भाषाओं से समझौता कर ही रही थी कि अंग्रेज शासक आ गए और उनके साथ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अध्यापन आरंभ हुआ । यह नितांत भिन्न भाषा थी आरंभिक अवस्था में अंग्रेजों ने अंग्रेजी व फारसी दोनों शब्दावली समानान्तर रूप से चलने दीं परन्तु धीरे–धीरे अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ने लगा । उच्च स्तरीय सेवाओं में अंग्रेजी हमारे लिए विजातीय थी । इसकी लिपि, शब्दावली, व्याकरण सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सभी कुछ हमारे लिए नितांत नया था। शासक वर्ग तथा गिने चुने लोगों की भाषा होने के कारण अंग्रेजी जानने वालों और भारतीय भाषाएं जानने वालों के बीच दूरी बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजी भाषी वर्ग समाज का विशिष्ट वर्ग बन गया।

आधुनिक विज्ञानों के विकास की बागडोर पश्चिमी देशों के हाथों में चली गई । विदेशों में नित्य नए आविष्कार हो रहे थे और हमारे देश में आ रहे थे फलतः अंग्रेजी हमारे लिए नवचेतना, नवज्ञान की भाषा बन गई। आजादी के उपरांत स्वतंत्र देश की मांग थी कि भारत की अपनी भाषा और अखिल भारतीय स्तर पर सर्वमान्य पारिभाषिक शब्दावली हो। भारत में वैज्ञानिक व तकनीकी विषयों का अध्ययन कराना अभी भी संभव नहीं है क्योंकि अभी भी इनमें नए विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का अभाव है ।

पारिभाषिक शब्द उन्हें कहा जा सकता है जिनकी सीमा बांध दी जाती है। वे अंग्रेजी शब्दों के पर्याय के रूप में एक समरूपता रखते हैं। ये विशिष्ट श्रेणी के शब्द होते हैं अतएव इनके निरंतर प्रयोग होने पर सम्प्रेषणियता बढ़ती है। दो व्यक्तियों अथवा समूह में कोई शब्द तभी व्यवहार्य और सम्प्रेषण में सक्षम होता है । जब उसका अर्थ और व्यक्त करने वाले ध्वनि संयोग में पारस्परिक सृजनशीलता हो । मानव समाज में सांस्कृतिक विकास का एक परिमाप उसकी अमूर्त संकल्पनाओं द्वारा भाषा व्यवहार की सम्पन्नता है । अमूर्त चिंतन भाषा व्यवहार के कई आयामों में पारिभाषिक शब्द न केवल उत्पन्न करता है वरन भाषा के शब्दों को भी पारिभाषिक श्रेणी में ला खड़ा कर देता है। 'जमा खाता', 'हुंडी', 'पूंजी', 'दिहाड़ी', 'प्रशासन', 'संघ', 'प्रावधान', 'प्रतिनियुक्ति', 'आधुनिक' आदि ।

पारिभाषिक शब्द व्याख्या या परिभाषा और प्रायः टीका की अपेक्षा रखता है । उसमें शास्त्र, विषय, प्रसंगानुसार एकार्थता होनी चाहिए और भाषा व्यवहार वर्ग में उसकी उसी अर्थ में स्थिर संप्रेषणियता भी होनी चाहिए । जिन भाषाओं द्वारा वह शब्द या पद बना हे वह उन उपभोक्ताओं को स्वीकार्य भी होना चाहिए ।

शब्द तभी पारिभाषिक बनते हैं जब उनमें अर्थ की स्थिरता और प्रयोग की समरूपता हो। एक शब्द एक अर्थ पारिभाषिक शब्दावली का प्रमुख लक्षण है। पारिभाषिक शब्दों का नियम है जितने शब्द अंग्रेजी में हों उतने ही शब्द हिंदी में भी होने चाहिए अर्थात् प्रत्येक शब्द के लिए अलग शब्द होना चाहिए ।

प्रशासन के हिंदी पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में समरूपता अभाव सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया क्योंकि शब्दावली निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में कई हिंदी भाषी राज्यों तथा विद्वानों ने अपनी-अपनी शब्दावली का निर्माण और प्रयोग करना शुरू कर दिया । साथ ही मराठी, गुजराती आदि सजातीय भाषाओं में मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग थोड़े बहुत अर्थ भेद के साथ होने लगा । फलस्वरूप एक ही अंग्रेजी शब्द के लिए अनेक पर्याय प्रचलन में आ गए । यथा – Government सरकार ''शासन''

Engineer अभियंता, यंत्री, इंजीनियर,

Director निदेशक, निर्देशक, संचालक,

Appendix परिशिष्ट, संलग्नक, अनुलग्नक,

Computer संगणक, अभिकलित्र, कम्प्यूटर,

Supply आपूर्ति, संभरण, मुहैया :

हमारे यहां आरंभिक शब्दावली निर्माण में मुख्यतः तीन धाराएं थीं –

1. अंग्रेजी की प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर एक शब्दावली बनाने की भावना से प्रेरित लोग शुद्ध संस्कृत व्याकरण तथा शब्द के आधार पर संस्कृत की शब्दावली के पक्षधर थे ।

2. पश्चिम में उदित व विकसित नवज्ञान को अविलम्ब भारत में लाने के लिए अंग्रेजी शब्दावली के पक्षधर थे । इस वर्ग में वे लोग थे जिनका माध्यम अंग्रेजी था ।

3. हिन्दुस्तानी के नाम पर उर्दू, फारसी तथा भारतीय भाषाओं व बोलियों के पक्षधर थे ।

प्रथम विचारधारा के लोगों के पुरोधा डॉ. रघुवीर की मान्यता थी कि पारिभाषिक शब्दावली में विदेशी भाषा का एक भी शब्द न हो । डॉ. रघुवीर ने संस्कृत की 600 धातुओं 26 उपसर्गों तथा 80 प्रत्ययों के मार्फत नए शब्द गढ़ने पर जोर दिया व स्वयं भी तदनुरूप शब्द बनाए । डॉ. रघुवीर की विद्वता व राष्ट्रप्रेम तथा हिन्दी भाषा के प्रति समर्पण को नकारा नहीं जा सकता । यह निर्विवाद सत्य है कि पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दों का वैज्ञानिक विधि से हिंदी में निर्माण करने का सूत्र डॉ. रघुवीर ने ही हमें दिया । आगे शब्दावली के निर्माण में सरकार ने उसकी मदद ली । भाषा वैज्ञानिकों ने दो प्रकार की भाषाएं स्वीकार की हैं। 1- आकार भाषाएं 2- शब्द उधार लेने वाली भाषाएं। भारतीय भाषाओं की आकार भाषा संस्कृत रही जिससे भाषाओं ने शब्द ग्रहण किए । नयी राजभाषा शब्दावली नीति ने भारतीय भाषाओं को शब्द उधार लेने वाली भाषाएं बना दिया । डॉ. रघुवीर ने

शब्दावली निर्माण प्रक्रिया में अपना अक्षुण्ण योगदान किया ।

दूसरी धारा के प्रवर्तक चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे । वे अंग्रेजी के शब्द ज्यों के त्यों ग्रहण करने के समर्थक थे । आधुनिक विज्ञान का विकास तथा औद्योगिक प्रगति चूंकि पाश्चात्य देशों की देन है इसलिए इस वर्ग के वैज्ञानिक अंग्रेजी शब्दों को यथा रूप अथवा किंचित ध्वनि परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लेने के समर्थक थे । डॉ. ईश्वर टोपा का कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग में आने वाली शब्दावली को ले लिया जाए। यह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में सहायक होगा । यह विषय आज तक दिग्भ्रमित करता आ रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली कौन सी है, कहां बोली जाती है । यूरोप में अभी तक ऐसी कोई शब्दावली तैयार नहीं हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली की परिभाषा वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली मंडल ने इस प्रकार की है अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली से हमारा तात्पर्य उन वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों से है जो समय–समय पर वैज्ञानिक संघों की अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई में प्रकाशित किए जाते हैं । आगे यह भी कहा कि यदि कोई शब्द यूरोप की कम से कम तीन भाषाओं में लगभग उसी रूप में मिलता हो उसे अन्तर्राष्ट्रीय शब्द मान लेना चाहिए । डॉ. शान्ति स्वरूप भटनागर, डॉ. के.सी. लूथरा, डॉ. बीरबल साहनी व डॉ. जे. सी. घोष का मत हे कि "अंग्रेजी शब्दावली को वैज्ञानिक शब्दावली मान लिया जाए ।" ये वे लोग थे जिनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई थी । कई बार ऐसा होता हे जो शब्द विश्वव्यापी लगते हैं वे स्थानीय सिद्ध होते हैं ।

पेट्रोल जैसा प्रचलित शब्द यूरोप व अमेरिका में एक जैसा प्रयुक्त नहीं होता । विश्व समुदाय अभी तक ऐसी कोई पारिभाषिक शब्दावली तैयार नहीं कर पाया जो सभी देशों को मान्य हो ।

तीसरी धारा के लोग हिन्दुस्तानी अथवा उर्दू के शब्द लेकर एक सामाजिक संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे । इनकी राय थी ।

1. शब्द किसी भी भाषा के हों पर उसमें उर्दू व्याकरण के नियम लगाए जाएं ।
2. आवश्यकतानुसार हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं के शब्द ग्रहण किए जाएं ।
3. बिना सहायक क्रिया के संज्ञा से क्रियाएं बनाई जाएं – वर्क–वर्काना, स्टैंडर्ड–स्टैंडर्डियाना ।
4. जो शब्द पहले से चले आ रहे हैं जो आज भी शुद्ध और उपयोगी हैं उन्हें बिना परिवर्तन के ले लिया जाए ।
5. अंग्रेजी के जो शब्द भाषा में स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें ज्यों का त्यों रहने दिया जाए ।
6. पारिभाषिक शब्दावाली के संबंध में यह ध्यान रहे, शब्द कठिन व विशिष्ट होने चाहिए तथा जहां तक हो सके शब्द जनता की भाषा से दूर हों, ताकि इलमी शान कायम रहे यथा Disfigure – रूप बिगाड़, Concurrent – संगचारी, International – अंतरकौमी, Entry – अंतरी, आदि ।

सरकार द्वारा तैयार की गई पारिभाषिक शब्दावाली के तत्सम बहुल शब्दों को देखते हुए डॉ. सुंदरलाल ने कहा है कि सरकार की ओर से निकल अनुवाद की भाषा कुछ ऐसी हो गई है । जैसे 'मिलावट' की जगह 'अपमिश्रण', 'गोद लेने' की जगह 'दत्तक ग्रहण', 'कम करने' की जगह 'अल्पीकरण' मिले जुले कल्चर की जगह सामासिक संस्कृति इस तरह की भाषा न कहीं बोली जाती है और न देश के किसी भाग की भाषा है उसे समझने में तो क्या पढ़ने में भी कष्ट होता है ।

तत्सम बहुलता के कारण शब्दावली कृत्रिम लगने लगी है उससे छुटकारा मिलने पर ही भाषा रूप निखर सकता है देश के मनीषी विद्वानों की राय है कि संस्कृत भाषा स्रोत भाषा है और भारतीय भाषाओं पर उसका स्पष्ट प्रभाव है। भारतीय भाषाओं की आका भाषा संस्कृत है। यदि हम चाहते हैं कि सभी भाषाओं के पारिभाषिक शब्द एक जैसे हों तो वे संस्कृत से ही हो सकते हैं Election – चुनाव, निर्वाचन, इसमें चुनाव से शब्द नहीं बन सकते हैं लेकिन निर्वाचन से निर्वाचक निर्वाचित आदि। संस्कृत से ऐसा शब्द

बनाया जाए जो देश की अधिकांश भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता हो।

शब्दावली निर्माण के सिद्धांत – भावों, विचारों और संकल्पनाओं की अभिव्यक्त करने के लिए भाषा जरूरी है। दुनिया की कोई भी भाषा वैज्ञानिक क्षेत्र में आते रहने वाले आविष्कारों, खोजों, विचारों, सिद्धांतों और संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ऐसे निर्मित शब्द प्रदान नहीं कर सकती जिसका एकदम उपयुक्त प्रयोग किए जा सकें । जिस प्रकार बोलचाल की भाषा में साहित्यिक संकल्पनाओं को अभिव्यंजित करने की शक्ति नहीं होती उसी प्रकार वैज्ञानिकों की अपेक्षाएं होती हैं कि वे अपनी खोजों आदि के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे जो केवल एक ही अर्थ को उजागर कर सके उनके शब्दों के पर्याय में द्वित्व न हो तथा मूलभाव को जीवन्तता देती हो ।

वैज्ञानिक शब्दों की विशेषताएं

1. असामान्यता (ये सामान्य व्यवहार में नहीं आते) 2. दुरुहता (प्रयोग द्वारा समझना) 3. परिभाष्यता (बिना परिभाषा के न समझा जा सके) 4. विशिष्ट अभिरुचि–पर्यायों द्वारा अपूरणीयता 6. कृत्रिम निर्माण, डर्विनवाद मार्क्सवाद 7. प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व लेम्बडा, पाई 8. संक्षिप्त शब्द क्लोराइड 9. पदनाम संबंधी महत्व वाले शब्द–गार्ड, टर्नर पांच पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी आदि के वैज्ञानिक शब्द लैटिन अथवा ग्रीक से उत्पन्न हुए हैं, इसी तरह भारत में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द संस्कृत से उद्भूत अथवा निर्मित किए गए हैं । भाषा विभिन्न प्रकार के शब्दों से ही बनती है क्योंकि वही संचार के महत्वपूर्ण और बेजोड़ साधन हैं ।

शब्दों की अपनी विकास यात्रा होती है । प्रत्येक विषय के विकास में कहीं–कहीं तत्संबंधी उपयुक्त शब्दावली का भी विकास होता है क्योंकि शब्द या शब्दावली भाषा के मूल तत्व, भावों, विचारों तथा संकल्पनाओं की वाहिका होती है । विज्ञान सत्य को उजागर करता हे तो भाषा उसकी अभिव्यक्त करती है । जो देश विज्ञान के क्षेत्र में जितनी प्रगति करता है उसकी भाषा और शब्दावली उतनी ही समृद्ध होती है । भाषा मानव अभिव्यक्ति व भावनाओं की वाहिका है । भाषा मानव मन के उद्वेलन, घूर्णन व स्पंदन का सहज रूप प्रकट करती है ।

वैज्ञानिक शब्द तीन तरह से बनते हैं (1) उधार लिए गए (2) दूसरी भाषाओं से लिए गए (3) लिप्यन्तरित या गढ़े गए शब्द । वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्दावली की अराजकता को दूर करते हुए मानक पारिभाषिक शब्दावली का विकास करने के लिए देश भर के विशेषज्ञों तथा भाषाविदों से निम्न मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किए :

1. अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को यथा संभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाया जाए और हिंदी व अन्य भाषाओं की प्रकृति के अनुसार उनका लिप्यन्तरण किया जाए ।
2. अपनी भाषा के शब्द भंडार में उपलब्ध ऐसे शब्दों को जो अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों के लिए पहले से ही प्रचलित हो, पर्याय के रूप में स्वीकार कर लिया जाए ।
3. आवश्यकतानुसार प्रादेशिक भाषाओं से तकनीकी शब्द ग्रहण किए जाएं ।
4. नए शब्द संस्कृत धातुओं के आधार पर निर्मित किए जाएं ।

अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावाली के अंतर्गत निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं । क–रासायनिक तत्व – हाइड्रोजन कार्बनडाईऑक्साइड – भारमाप इकाइयां– कैलोरी, ग्राम, ऐम्पियर ऐसे शब्द जो आविष्कारकों के नाम पर बनाए गए – मार्क्सवाद (कार्लमार्क्स), ब्रेल लिपि (लुईब्रेल), फारेन हाइट (मि. फारेन हाइट), बायकाट (कै बायकाट), वनस्पति, प्राणी विज्ञान, भू–विज्ञान के द्विपदी नामावली, स्थिरांक–पाई (।।), प्रचलित सामान्य शब्द जिनका प्रयोग वैश्विक जगत में हो रहा है – पेट्रोल, राडार, इलैक्ट्रोन, न्यूट्रान, गणित एवं विज्ञान में प्रचलित शब्द, प्रतीक चिह्न सूत्र–साइन, कोसाइन, टेन्जेट, लाग (गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त शब्द अक्षर रोमन या ग्रीक वर्णमाला के होने चाहिएं) ।

ख– संकेतों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप में रोमन लिपि में लिखा जाए परन्तु संक्षिप्त नामों को नागरी और

मानकीकृत रूप में लिखा जा सकता है । सेंटीमीटर का प्रतीक cm हिंदी में ऐसे ही प्रयुक्त होगा परन्तु नागरी में संक्षिप्त में से.मी. हो सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मानक पुस्तकों में केवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक cm प्रयुक्त करना चाहिए ।

ग– जयामिति आकृतियों में भारतीय लिपियों में वे अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं – क, ख, ग, अ, ब, स परंतु त्रिकोणमिति संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक साइन A, B आदि शब्द प्रयुक्त करने चाहिए।

घ– संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए ।

ड.– हिन्दी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए ।

च– सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथा संभव अधिकाधिक एकरूपता लेना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए ।

1. अधिकाधिक प्रादेशिक भाषाओं (भारतीय भाषाओं) में प्रयुक्त हों ।
2. संस्कृत धातुओं पर आधारित हों ।

छ– ऐसे देशीय शब्द जो हमारी भाषाओं में सामान्य वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर प्रचलित हो गए हैं – Telegram, Telegraph – तार Continent – महाद्वीप, Atom – परमाणु ये सब इसी रूप में प्रयुक्त होने चाहिए ।

ज– अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं– इंजन, मशीन, लावा, मीटर, लीटर, टार्च, टिकट, सिग्नल, पुलिस इसी रूप में अपनाने चाहिए।

झ– अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि नए प्रतीक या चिह्न शामिल करने की आवश्यकता पड़े ।

ड़– अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों के लिंग अन्यथा कारण न हो तो पुल्लिग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए।

ट– वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्दों जैसे Ionization – आयनीकरण, Voltage – वोल्टता, Ringstand – वलय स्टेंड आदि रूप सामान्यता प्राकृतिक भाषा शास्त्रीय क्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्द रूपों को वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकताओं यथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए ।

ठ– वैज्ञानिक शब्दों में संधि व समास कठिन संधियों का यथा संभव कम प्रयोग करना चाहिए । संयुक्त अक्षर में बीच में हाइफन लगा देना चाहिए ।

ड– हलंत नए अपनाए गए शब्दों में आवश्यकतानुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए।

द– पंचम वर्ग के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग करना चाहिए परन्तु Lens, patent का लिप्यंतरण लेंस पेटेंट या पेटण्ट न करके लेन्स पेटेन्ट ही करना चाहिए ।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉ. दौलत सिंह कोठारी के शब्दों में – वैज्ञानिक शब्दावली के प्रश्न पर चिंतन करते समय हमें जिन आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना है वे हैं, उपादेयता, सरलता एवं लचीलापन । तकनीकी शब्द ऐसे होने चाहिए जिन्हें सुगमता से समझा जा सके । शब्द निर्माण के हमारे तरीके में लचीलेपन की जरूरत है। इन शब्दों की कसौटी यह होनी चाहिए कि इनके प्रयोग से हम विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर सकें किसी भी विदेशी भाषा के तकनीकी शब्द के हिंदी पर्याय का निर्माण निम्न विधि से होना चाहिए ।

1. रासायनिक तत्वों यौगिकों तथा समाज में व्यवहृत विदेशी शब्दों को पहले अंगीकार कर लिया जाता है । यह सामान्य भाषायी प्रचलन है और संसार की लगभग सभी भाषाओं को इस स्थिति से गुजरना होता है यथा प्राणायाम ब्रह्म आदि शब्दों के अंग्रेजी में जैसे का तैसा अपना किया गया है । इस प्रक्रिया से वे शब्द उस भाषा व समाज के अंग बन जाते हैं जैसे रिक्शा, लालटेन, पंचायत ।

2. किसी विदेशी भाषा के शब्द को अपना कर

उससे व्युत्पन्न शब्दों का विकास लक्ष्य भाषा की प्रकृति एवं व्याकरण के आधार पर किया जाना अनुकूलन कहलाता हे जैसे अंग्रेजी ने लाठी कुर्ता, धोती ग्रहण कर लिया और लाठीचार्ज अंग्रेजी भाषा की प्रकृति के अनुरूप विकसित है चूंकि हिन्दी में अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथारूप अपनाने का निर्णय लिया है इसलिए इसमें संकर शब्दों की अधिकता होगी । हाइड्रोजनीकरण, आक्सीकृत आदि शब्द इसी श्रेणी में आते हैं । इस तथ्य को स्वीकारना होगा कि विज्ञान के बढ़ते चरण रोजमर्रा में अनेक नए शब्द दे रहा है और उनको समाज रूप में ही अपनाना होगा दुनिया की वही भाषा परिष्कृत सुसम्पन्न तथा समृद्ध होगी जिसमें पाचन शक्ति अधिक है ।

3. जहां उक्त दोनों विधियां कारगर न हों वहां नए शब्दों की निर्माण प्रक्रिया जरूरी है । हमारे पास दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत जिसकी मदद से शब्दों का विपुल भंडार तैयार किया जा सकता है हमने संस्कृत के उपसर्गों, प्रत्ययों व क्रियाओं (धातुओं) की सहायता से अनेक शब्दों का निर्माण किया । प्रक्रिया प्रक्रम, अनुकूलन, शीतन, अभिकेन्द्री, प्रशीतन, विवेचना, प्रौद्योगिकी, संविदा, प्रसारण, संशोधन, प्रवाह, नियोजन, रिपोर्ताज, अकादमी, त्रासदी, तकनीक आदि लाखों शब्द बनाए गए । शब्द निर्माण प्रक्रिया एक सतत प्रवहमान धारा है ।

4. उक्त सभी सिद्धांतों का सहारा लेकर वैज्ञानिक व पारिभाषिक शब्दावली को निरंतर समृद्ध सशक्त किया जा रहा है। अक्सर यह बात सुनने में आती है कि हिन्दी में बनाए गए तकनीकी वैज्ञानिक शब्द संस्कृत निष्ठ होने के कारण अत्यंत दुरूह हो गए हैं तथा उनका प्रयोग करना व उन्हें स्मरण करना आसान नहीं है । यहां यह स्पष्ट करना नितांत आवश्यक है कि तकनीकी शब्द आम आदमी का शब्द नहीं होता उसका प्रचलन उसे आम बना देता है। रेडियो, कम्प्यूटर समाज में चलते–चलते आम आदमी के शब्द हो गए हैं । दूसरी बात तकनीकी शब्द के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द संरचना इस प्रकार की हो कि अंग्रेजी की भांति हिन्दी में उसका एक ही अर्थ हो तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने पर उसकी एकरूपता नष्ट न हो । शब्द की व्यापकता उसके सम्प्रेषणियता से बढ़ती है आरंभिक समय में Parliament Central Secretariat के हिन्दी रूपांतर आम आदमी में दुरुह थे वह संसद व केन्द्रीय सचिवालय को विदेशी समझता था आज आम हो गए हैं । प्रशासनिक व विधि शब्दावली कें निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दैनिक बोलचाल से भिन्न हो । हम अंग्रेजी के शब्दों को सहज मानकर अपना सकते हैं तो अपनी भाषा के प्रति उदासीनता क्यों? जरूरत है निष्ठा व समर्पण की निरंतर प्रयोग करने से भाषा की दुरूहता खत्म हो जाती है और उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द अपने लगने लगते हैं । हमें अंग्रेजी मानसिकता छोड़नी होगी और खुले दिल उदार मन से हिंदी के इन शब्दों का स्वागत करना होगा । हमारा प्रयास यह रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा भाषा के इन शब्दों का इस्तेमाल करें । वह दिन दूर नहीं होगा जब भारतीय मनीषा अपने शब्दों का संवाहक बनेगी। सही मायने में यह राजभाषा का रूप लेगी ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि मूल पाठ अंग्रेजी में न तैयार हो कर राजभाषा हिन्दी में किए जाएं ताकि विधि क्षेत्र में मौलिक चिंतन हो जिससे ऐसा विधान बन सके जो इस देश के वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुरूप हो । अकेले शब्द निर्माण किसी भाषा का विकास नहीं कर सकते जब तक जनमानस उसे सहज ग्रहण न कर ले ।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भू – मण्डलीकरण के इस युग में दुनिया का कोई भी राष्ट्र बिना परस्पर सहयोग के अपना समूचा विकास नहीं कर सकता । उसे विदेशी तकनीक, संचार व प्रोद्योगिकी की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए उसे वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकता होगी तथा उस तकनीक का सम्यक ज्ञान होगा अतएव अलग–अलग देशों की पारिभाषिक व वैज्ञानिक शब्दावलियों के अतिरिक्त एक वैश्विक शब्दावली की भी नितांत जरूरत है जिस महायज्ञ में विश्व के समुदाय के महामनीषियों को एकजुट होकर आहुति देनी होगी तभी विश्व भाषा परिहार का सहज रूप सबके सामने आएगा और "वसुधैव कुटुम्बकम्" का सपना साकार होगा ।

बाल किशन
वरिष्ठ अनुवादक
मुख्यालय कार्यालय।

दक्षिण भारत के धार्मिक स्थल

1. तिरूपति, आंध्र प्रदेशः तिरुपति वेन्कटेशवर मन्दिर तिरुपति मे स्थित एक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहां आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थिम तिरुमला की पहाड़ियों पर

बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अदभूत उदाहरण हैं। इस मंदिर के विषय में एक अनुश्रुति इस प्रकार से है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला–तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ, शेषनाग के सात फनों के आधार पर बनीं 'सप्तगिरि' कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरि की सातवीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्री नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार, 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस सातवीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु श्रीनिवास (वेंकटेश्वर का दूसरा नाम) उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह–जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, जहाँ पर आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म–मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है।

2. रामेश्वरम, तमिलनाडुः रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्रतीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथ पुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिन्दुओं के चार धामों में से एक है। इसके अलावा यहां स्थापित शिवलिंग बारहद्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर मे काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम् की है। रामेश्वरम से लगभग सवा चार सौ मील दक्षिण–पूर्व में है। यह हिंद महासागर

और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परन्तु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील (48 कि.मी) लंबे आदि–सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहां के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है।

3. कांचीपुरम, तमिलनाडु: कांचीपुरम कांची, भारत के तमिलनाडु राज्य का एक नगरमहापालिका क्षेत्र है। यह मन्दिरों का शहर है। इसे पूर्व में कांची या काचीअम्पाठी भी कहते थे। यह पलार नदी के किनारे स्थित है, एवं अपनी रेशमी साडियों एवं मन्दिरों के लिये प्रसिद्ध है। यहां कई बड़े मन्दिर हैं, जैसे वरदराज पेरुमल मन्दिर भगवान विष्णु के लिये, भगवान शिव के पांच रूपों में से एक को समर्पित

एकाम्बरनाथ मन्दिर, कामाक्षी अम्मा मन्दिर, कुमारकोट्टम, कच्छपेश्वर मन्दिर, कैलाशनाथ मन्दिर, इत्यादि। उत्तरी तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम भारत के सात सबसे पवित्र शहरों में एक माना जाता है। हिन्दुओं का यह पवित्र तीर्थ स्थल हजार मंदिरों के शहर के रूप में चर्चित है। आज भी कांचीपुरम और उसके आसपास 126 शानदार मंदिर देखे जा सकते हैं। यह शहर चैन्नई से 45 मील दक्षिण पश्चिम में वेगवती नदी के किनार बसा है। कांचीपुरम प्राचीन चोल और पल्लव राजाओं की राजधानी थी। मंदिरों के अतिरिक्त यह शहर हैंडलूम इंडस्ट्री और खूबसूरत रेशमी साड़ियों के लिए सर्वविख्यात है।

4. कन्याकुमारी, तमिलनाडु: कन्या कुमारी तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिन्द महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है, जहां भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्या कुमारी वर्षो से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। कन्या कुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्य के अधीन रहा है। यहां के स्मारकों पर इन शासकों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा

प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बानासुरन को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को आठ पुत्री और एक पुत्र था। भरत ने अपना साम्राज्य को नौ बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के इस हिस्से पर कुशलतापूर्वक शासन किया। उसकी ईच्छा थी कि वह शिव से विवाह करें। इसके लिए वह उनकी पूजा करती थी। शिव विवाह के लिए राजी भी हो गए थे और विवाह की तैयारियां होने लगीं थी। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बानासुरन का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच बानासुरन को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बानासुरन को मृत्यु की प्राप्ति हुई। कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव और कुमारी के विवाह की तैयारी का सामान आगे चलकर रंग बिरंगी रेत में परिवर्तित हो गया।

5. मैसूर, कर्नाटक : मैसूर भारत के कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह प्रदेश की राजधानी बंगलोर से लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु की सीमा पर बसा है। सूर से 13 किमी. दक्षिण में स्थित चामुंडा पहाड़ी मैसूर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इस पहाड़ी की चोटी पर चामुंडेश्वरी

मंदिर है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। मंदिर मुख्य गर्भगृह में स्थापित देवी की प्रतिमा शुद्ध सोने की बनी हुई है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। मंदिर की इमारत सात मंजिला है जिसकी कुल ऊंचाई 40 मी. है। मुख्य मंदिर के पीछे महाबलेश्वर को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहाड़ की चोटी से मैसूर का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। मंदिर के पास ही महिषासुर की विशाल प्रतिमा रखी हुई है।

6. मदुरै, तमिलनाडु: देवी मीनाक्षी को समर्पित मीनाक्षी मंदिर मदुरै की पहचान है। यह देश के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। यहां प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। 65 हजार वर्ग मीटर में फैले इस विशाल मंदिर को यहां शासन करने

वाले विभिन्न वंशों ने विस्तार प्रदान किया। दक्षिण में स्थित इमारत सबसे ऊंची है जिसकी ऊंचाई 160 फीट है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर परिसर का सबसे प्रमुख आकर्षण हजार स्तंभों वाला कक्ष है जो सबसे बाहर की ओर स्थित है। मदुरै शहर से 21 किमी. दूर अजगर भगवान विष्णु का खूबसूरत मंदिर हे। यहां पर भगवान विष्णु को अजगर नाम से पुकारा जाता है। वे देवी मीनाक्षी के भाई थे। जब चित्रई माह में देवी का विवाह हुआ था तो अजगर शादी में शामिल होने के लिए यहां से मदुरै गए थे। भगवान सुब्रमण्यम के छः निवासों में से एक पलामुधिरसोलक्षर अजगर कोइल के ऊपर चार किमी. दूर है। पहाड़ी की चोटी पर नुबुरगंगई नामक झरना है जहां तीर्थयात्री स्नान करते हैं।

7. नागपट्टनम, तमिलनाडु (वेलनकन्नी मठ चर्च): नागपट्टनम के तट पर बसा एक शहर है, जो अपने धार्मिक धरोहरों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यह शहर नागानाडु, चोलाकुला, वल्लीपट्टिनम शिव

राजधानी जैसे नामों से भी जाना जाता है। प्रारंभिक लेखकों और पुर्तगालियों ने इसे सिटी ऑफ कोरोमंडल नाम से संबोधित किया था। यहां के बंदरगाह भारत के सबसे समृद्ध बंदरगाहों मे गिने जाते हैं। हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के सैलानी यहां तीर्थाटन करने के लिए नियमित रूप से आते रहते हैं। इस छोटे से नगर को ईसाई धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है। यहां का अरोकिया माधा चर्च या वेलनकन्नी बासीलिका मुख्य आकर्षण है। सभी धर्म के लोग इस चर्च में प्रार्थना करने बड़ी संख्या में आते हैं। नागापट्टिन से 12 किमी. दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित यह चर्च दक्षिण एशिया में ईसाइयों का मक्का माना जाता है। इस नगर के महत्व को देखने हुए वेटिकन सिटी के पोप ने इसे पवित्र शहर घोषित किया था।

8. तिरुवन्नमलई, तमिलनाडु : केतमिलनाडु स्थित तिरुवन्नमलई जिले में बसा तिरुवन्नमलई एक तीर्थ शहर और नगरपालिका है। यह तिरुवन्नमलई जिले का मुख्यालय भी है। अन्नमलईयर मंदिर इसी तिरुवन्नमलई में बसा हुआ है, जो कि अन्नमलई पहाड़ की तराई में स्थित है और यह मंदिर तमिलनाडु में भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। लम्बे समय से तिरुवन्नमलई कई योगियों और सिद्धों से जुड़ा रहा है, और सबसे हाल के समय की बात करें तो अरुणाचल की पहाड़ियां, जहां 20वीं सदी के गुरुरमण महर्षि रहते थे, वह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चर्चित हो चुका है। तिरुवन्नमलई पंच भूत स्थलंगल में से एक है, जो चिदम्बरम, श्री कालहस्ती, तिरुवनईकोएल तथा कांचीपुरम के साथ अग्नि तत्त्व

को दर्शाता है, जिनमें ये चार क्रमशः पंच भूत तत्वों– आकाश, हवा, जल और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो चार ब्रह्मोत्सवम हर वर्ष मनाये जाते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध वह है, जो तमिल महीने कार्तिकेय (नवंबर / दिसंबर) में पड़ता है। दस दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की समाप्ति कार्तिगय दीपम से होती है। इस संध्या को एक बड़ी कड़ाही में तीन टन घी डालकर इसे दीप के रूप में अन्नमलई पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर रख कर जलाया जाता है। हर पूर्णिमा की रात करीब कई हज़ार तीर्थ यात्री भगवान शंकर की पूजा करते हैं और खाली पैरों से अरुणाचल पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा की कुल दूरी तकरीबन 14 किलोमीटर है। तमिल कैलेंडर के अनुसार, इस वार्षिकचित्र पूर्णिमा की रात हजारों श्रद्धालु विश्व के कोने–कोने से इस पवित्र शहर में आते हैं।

9. पॉडिचेरीः पॉडिचेरी अपनी बेजोड़ खुबसूरती और प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। परंतु इसके अतिरिक्त, यह केन्द्र शासित प्रदेश कई धार्मिक स्थलों के लिए मशहूर है, हालाँकि अधिकतर लोग पॉडिचेरी को अरविंदो आश्रम और ऑरोविले जैसे कुछ स्थलों का

भ्रमण करते हैं। अगर आप मन की शांति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज कर रहे हैं तो पॉडिचेरी में परमेश्वरी मंदिर, वरधराज पेरूमल मंदिर, मनकुला विनयगर मंदिर अथवा अरूलमिगू मनकुला विनयगर मंदिर जा सकते हैं, जो दक्षिण भारत के ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ का भ्रमण कर आप के मन में शांति का भाव उत्पन्न होता है।

10. तंजावुर, तमिलनाडुः के पूर्वी तट पर स्थित तंजावुरया तंजौर ऐतिहासिक शहर है। यह शहर बृहदीश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण महान चोल राजा राजराज चोल ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय शिल्प और वास्तु कला का अदभूत उदाहरण है। मंदिर के दो तरफ खाई है और एक ओर अनाईकट नदी बहती है। अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर में गर्भगृह के ऊपर बड़ी मीनार है जो 216 फुट ऊंची है। मीनार के ऊपर कांसे का स्तूप है। मंदिर की दीवारों पर चोल और नायक काल के चित्र बने हैं जो

अजंता की गुफाओं की याद दिलाते हैं। मंदिर के अंदर नंदी बैल की विशालकाय प्रतिमा है। यह मूर्ति 12 फीट ऊंची है और इसका वजन 25 टन है। नायक शासकों ने नंदी को धूप और बारिश से बचाने के लिए मंडप का निर्माण कराया था। मंदिर में मुख्य रूप से तीन उत्सव मनाए जाते हैं– मसी माह (फरवरी–मार्च) में शिवरात्रि, पुरत्तसी (सितंबर–अक्टूबर) में नवरात्रि और ऐपस्सी (नवंबर–दिसंबर) में राजराजन उत्सव।

एन. वेलमुरगन
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
मदुरै कार्यालय

प्रकृति व हम

सुबह की ओस की बूंदें, ताजी हल्की बहती हवा, पक्षियों की चहचहाट, फुदकती हुई छोटी–छोटी गौरैया के झुण्ड झाड़ियों के बीच कुलहाते हुये और सूर्य उदय होते हुये पूरी पूर्व दिशा को सिंदुरी करता हुआ। सुबह सुबह आंगन में खड़े होकर यह दृश्य देखकर मेरा हृदय भाव विभोर हो चला और मेरी रात की सुस्ती क्षण में छूमन्तर हो गयी । एक नये दिन के लिए जैसे प्रकृति ने मेरे पूरे शरीर में स्फूर्ति भर दी । मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी अचानक मोबाइल पर अलार्म बजा व मेरी नींद खुल गयी । जान गया कि मैं एक स्वप्न देख रहा था । आधी निद्रावस्था में पैर खुद ब खुद ही बरामदे की तरफ चल दिये और मेरी सुस्ती क्षण में अन्तर्धान हो गयी, पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी । बाहर कुछ कौवे काँव–काँव कर रहे थे एवं कुछ कबूतर गुटर गूँ कर रहे थे । न थी गौरैया ना कोई और पक्षी । पास में एक मोबाईल टावर दिख रहा था । पूरब की तरफ मेरी थकी आँखों ने देखा तो अजीब सी धुंध के पीछे सूर्योदय हो रहा था और धुंध में सिंदूरी प्रभात को जकड़ रखा था। मेरा हृदय भावविभोर हो चला और भारी कदमों के साथ मैं घर के अंदर आ गया।

अपने बचपन में मैंने अपना स्वप्न सत्य में देखा था । मेरे मन में ख्याल आया कि हमारे युवाओं व बच्चों को वह नजारा देखने के लिए शहर से काफी दूर जाना पड़ेगा। आधुनिकीकरण की यह कीमत देने में कहीं न कहीं हमारा भी योगदान है, चाहे किसी का कम और किसी का ज्यादा । सवाल यह उठता है कि आधुनिकीकरण के महत्व के मद्देनजर इसके और प्रकृति के बीच सामंजस्य कैसे बरकरार रखा जाये । उपरोक्त को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें नीतियां गठित करती हैं, मगर इनकी सफलता के लिए देश के नागरिकों की अहम भूमिका है और मुझे लगता है कि हम भारतीय इस जिम्मेदारी को निभाने में बहुत पीछे हैं । भारतीय सभ्यता के बारे में जो कुछ सुनते व पढ़ते हैं वह आज के समावेश में असत्य सा लगता है। प्रगतिशील होने के लिये शायद हमें अपने इतिहास में वापिस जाना पड़े ताकि हम ना सिर्फ जिम्मेदार नागरिक ही बन सकें, पर अपनी आने वाली पीढ़ियों के अन्दर अपनी सभ्यता का समावेश भी कर सकें ।

'स्वच्छ भारत अभियान' इस दिशा में एक असाधारण कदम है । कचरा फैलाना व इसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान न करना निसंदेह हमारे वातावरण को दूषित करता है व बीमारियों को न्योता देता है । यह तथ्य सभी को मालूम है मगर अपने तन व घर की सफाई पर ध्यान देते हुए हम सामाजिक स्थलों पर गंदगी करने व साफ सफाई न रखने के दोषी हैं । विदेशी देश इस बात को समझ चुके हैं और इसी वजह से वह इस दिशा में सफल हैं। प्रदूषण पर वृक्षारोपण से भी नियंत्रण किया जा सकता है जो कि एक वैज्ञानिक तथ्य है । एक व्यक्ति एक पेड़ इस दिशा में कायम कदम होगा और इसे अपना नारा बनाते हुए 1976 से किए गए परिश्रम से अमरीकी शहर आरलेण्डो को सन् 2011 में 'स्ट्रलिंग ट्री' यू.एस.ए. के नाम से नवाजा गया व सन् 1990 से साल दर साल यह शहर वृक्ष विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया । क्यों न हम भारतवासी भी यह कर दिखाएं ।

हर नागरिक का उपरोक्त की तरफ उठाया गया एक एक कदम हमारे वातावरण को स्वच्छ करने व पुनःस्थापित करने की दिशा में एक अहम संयुक्त कदम है जिसके फलस्वरूप हमारी आने वाली पीढ़ियां मेरे स्वप्न को वास्तव में देख व महसूस कर सकेंगी ।

पहला कदम ही दूसरे कदम को जन्म देता है । क्यों न हम इस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएँ ।

जय हिन्द ।

दीपक चौहान
सहायक निदेशक
श्रीनगर कार्यालय

गाँवों का बदलता स्वरूप

भुमिका :– मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह समाज में समूह के साथ रहना पसंद करता है । परिवार से आदमी समाज से जुड़ता है और समाज के समूह से मनुष्य स्थाई निवास के आधार पर घरों का समूह बनाता है जो कि गाँव, शहर और जिला राज्य एवं अन्य राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है। भारत में 72.8 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और 27.2 आबादी शहरों में रहती है । देश में वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार देश में 29 राज्य तथा 7 संघ शासित प्रदेश हैं । देश में कुल 640 जिले हैं तथा कुल 6,38,000 गांव एवं 7933 शहर हैं। जिनमें लोग रहते हैं तथा अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रोजगार हेतु शहरों में पलायन करते हैं ।

देश में ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं स्थानीय निकाय पंचायती राज प्रणाली अपने–अपने स्तर पर कार्य करती हैं ताकि गांवों/शहरों के लोगों को जीवन स्तर की बेहतर सुविधाएं मिल सकें ।

गांवों में शिक्षा का विकास :– देश में अब गांवों में ही शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार ने 10+2 प्रणाली तक स्कूल खोल दिए हैं जहाँ पर गांव के लड़कें/लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती हैं तथा उच्च शिक्षा के लिए बाद में शहरों के विभिन्न कॉलेज, शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं । इस कारण अब गांवों में भी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है ।

सड़के एवं नालियों की व्यवस्था :– आधुनिक समय में गांवों में ग्राम पंचायतों को ग्राम की आवश्यकतानुसार अपने गांवों में सड़कें एवं गांव के अन्दर पानी की निकासी के लिए नालियों एवं ग्रामीण रास्तों को पक्का करने का अधिकार मिल गया है । जिसे ग्राम सभी के सदस्य गांव की आवश्यकता के अनुसार सरकार द्वारा दिए गए बजट को खर्च कर सकते हैं ।

गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था :– अब भारत के हर गांव में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए गांवों में नर्स/ आंगनबाड़ी/डॉक्टर समय–समय पर गांव में आते हैं तथा विभिन्न प्रकार के रोगों के बचाव के बारे में ग्रामीण लोगों को जानकारी एवं दवाइयां आदि देते हैं । जिनके कारण ग्रामीण महिलाओं को प्रसव काल में उचित खान–पान एवं उचित दवाइयां प्रदान की जाती हैं । ताकि समय पर जच्चा–बच्चा की रक्षा की जा सके। इस के लिए ग्रामीण क्षेत्र की नर्स/आंगनबाड़ी महिला घर पर आती है तथा प्रसव समय उचित सहायता एवं नजदीक के सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र पर उचित देखभाल की जाती है जिससे गांवों में प्रसव के समय जच्चा–बच्चा दोनों के जीवन की रक्षा होने से परिवार में खुशी बनी रहने लगी है ।

खेल–कूद को बढ़ावा :– आज देश के लगभग हर बड़े गांव में सरकार द्वारा खेल–कूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खेल–कूद के स्टेडियम बनाये जा रह हैं। जहाँ पर गांव के लड़के/लड़कियां विभिन्न खेलों में हिस्सा लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश के लिए विभिन्न

खेलों में मेडल / इनाम जीत कर ला रहे हैं तथा देश का नाम ऊँचा कर रहे हैं ।

लिंग अनुपात में गिरावट :– देश में अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली स्त्रियां लड़का / लड़की में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रही है । लोग लड़कों एवं लड़कियों को पढ़ने–लिखने का बराबर अवसर दे रहे हैं। जिसके कारण गांवों में लड़का / लड़की का लिंग अनुपात बढ़ा है। क्योंकि ग्रामीण भी समझने लगे हैं कि लड़का / लड़की बराबर हैं, उन्हें पढ़ाएं, जिससे वे अपने पांव पर खड़े हो सकें और देश की बड़ी–बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभाग तथा सेना में ग्रामीण लड़के / लड़कियां भर्ती हो रहे है।

आधुनिक खेती के तौर तरीके अपनाना :– आज गांवों में पुराने खेती के लए बैल हल आदि के सहारे खेती करना बंद कर दिया है। गांवों के लोग अब आधुनिक खेती के तौर–तरीके अपना रहे हैं। वे इस कार्य के लिए ट्रैक्टर, ट्राली, खेती के आधुनिक औजार एवं मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण उनकी फसल का उत्पादन बढ़ रहा है। और जिसे बेचकर वे अपना जीवन स्तर ऊपर उठा रहे हैं।

गांवों में बिजली एवं सौर ऊर्जा का प्रयोग :– आधुनिक गांवों में लोग अब बिजली का प्रयोग अपने घरों में रोशनी एवं अन्य कार्य में प्रयोग कर रहे हैं । जहाँ पर सरकार द्वारा बिजली व्यवस्था नहीं पहुंची है वहाँ पर लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग गली में रोशनी एवं अन्य घरेलू प्रयोग में ला रहे हैं। जिसके कारण गांवों के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है एवं लोग पढ़ाई लिखाई एवं चौपाल आदि में रात के समय भी ग्रामीण व्यवस्था को सुचारू रूप में रख रहे हैं।

गोबर गैस एवं आधुनिक रसोई गैस का प्रयोगः– आजकल गांवों में जिन घरों में ज्यादा पशु (गाय, भैंस) आदि हैं वे अपने घरों के पास गोबर गैस प्लांट लगा कर घरेलू कार्य में गैस का प्रयोग खाना बनाने में एवं घरों में रोशनी आदि हेतु प्रयोग कर रहे हैं। जिन घरों में गोबर गैस व्यवस्था नहीं है वहाँ पर लोग ईधन की लकड़ी अथवा चूल्हा जलाने के विकल्प के तौर पर रसोई गैस सिलैण्डर का प्रयोग कर रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र का पर्यावरण ठीक बना रहता है तथा पेड़–पौधों की रक्षा होती है।

आधुनिक संचार प्रणाली का प्रयोग :– आज के गांवों में सभी घरों में टेलीविजन / रेडियों एवं दूरभाष मोबाइल आदि का प्रयोग होने लगा है, जिससे लोगों को देश, विदेश के बारे में जानकारी शीघ्र प्राप्त हो जाती है । संचार प्रणाली में अब ग्रामीण लोग फोन / मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं जिन से उन्हें उन्नत किस्म के बीजों मशीनों और बाजार भावों के बारे में जानकारी मिलने लगी है ।

गांव–गांव में बैंक / डाकघर व्यवस्था :– सरकार द्वारा गांव–गांव में बैंक / डाकघर खोले जा रहे हैं तथा ग्रामीण युवा–युवतियों के बैंक / डाकघर में खाते खोले जा रहे हैं। ताकि वे अपने खेतों की उपज बिक्री / घरेलु धन्धों से प्राप्त आय को अपने खातों में जमा कर सकें । सरकार ने गांव के लोगों के लिए बहुत ही कम कीमत प्रीमियम पर ग्रामीण लोगों का जीवन बीमा करना आरंभ कर दिया है जिससे परिवार के लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ने लगी है और इसमें गांव के लोग बढ़–चढ़ कर भाग ले रहे हैं । इसके अलावा गांव के लोगों की वृद्धावस्था पेंशन भी अब उनके बैंक / डाकघर खाते में आने लगी है जिससे गांव के वृद्ध पुरुष / स्त्रियां भी खुश होने लगे हैं ।

सब्जीमण्डी एवं अनाज मण्डियों का विकास :– सरकार ने अब गांवों के लोगों/किसानों की फसल का उत्पादन नजदीक में बेचने हेतु सब्जीमण्डी एवं अनाज मण्डियों की स्थापना की है । जिसमें किसान ग्रामीण अपनी फसल को शीघ्र एवं उचित मूल्य पर बेच सकता है । इस कारण किसान का अपने उत्पादन को बेचने के लिए दूर शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ता । यही नहीं सरकार ने गांवों में दूध खरीदना भी आरंभ कर दिया है । जिससे जो लोग पशुपालन का कार्य करते हैं उन्हें अपने दूध एवं दूसरे पदार्थों का उचित मूल्य मिलने से लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है । यही नहीं इस कार्य में गांव की महिलाएं भी बढ़–चढ़ कर भाग ले रही हैं और दूध उत्पादन एवं कृषि कार्य में सहयोग करके अपने घर की आमदनी बढ़ा रही है ।

उपरोक्त कारणों को देखते हुए अब गांवों का स्वरूप बदल रहा है । गांव में लोग अब पक्के मकान तथा आधुनिक जीवन–शैली का प्रयोग कर रहे हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन–बीमा, खान–पान में सुधार होने से लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठ रहा है। ये हमारे लिए एवं देश के लिए गौरव की बात है ।

आर. कुमार
सहायक निदेशक
चैन्नई कार्यालय

शराबबंदी का महत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य में

कहने की जरूरत नहीं है, कि शराबबंदी सामाजिक उत्थान एवं सभ्य समाज के निर्माण हेतु परमावश्यक कारक सिद्ध हो सकती है । शराबबंदी के दो परिणाम हो सकते हैं – पहला तो संबंधित सरकार को राजस्व का नुकसान एवं दूसरा समाज के लोगों को शराबी व्यक्तियों से मुक्ति । अब ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दोनों ही परिणाम तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरकारी राजस्व की प्राप्ति के लिए लोगों को जो शराब बेची जाती है वो सामाजिक मूल्यों का हनन करने के लिए उत्तरदायी होता है और वहीं राजस्व फिर उसी समाज के उत्थान के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करके । तो, फिर सवाल कायम रह जाता है कि शराबबंदी का खुल के समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा, उसी राजस्व के लालच में जिसका कि उपयोग उसी समाज के बेहतरी के लिए होना है, जिसमें यह शराब बेचकर उसे खराब किया जा रहा है ।

ऊपर के वाक्यों को एक उदाहरण से समझाते हैं बिहार के एक गाँव की कहानी है। वहाँ एक व्यक्ति रहता था। उनसे मेरी मुलाकात अक्सर होती रहती थी। मैं उनको जितना जानता था, वो बिल्कुल संयमी किस्म के पुरुष थे। परन्तु उनकी एक अजीब आदत थी वो जब भी कभी किसी मोहल्ला सभा या किसी सामान्य–सभा में बैठते थे, तो वो कहते थे कि मैं किसी से डरता नहीं..... मैंने पूछ लिया वो कैसे? तो, झट से उन्होंने कहा "क्योंकि मैं किसी ये लड़ता नहीं" । अतः कहने का मतलब यह है कि शराब से होने वाले दुष्परिणामों को लड़ने लायक होने ही क्यों दिया जाए जबकि हमारे पास न लड़ने का विकल्प मौजूद है ।

इस संबंध में हाल ही में बिहार में 01 अप्रैल, 2016 को लागू किए गए पूर्ण शराबबंदी कानून का उल्लेख जरूरी हो जाता है । बिहार में पहले यह तय किया गया था कि सिर्फ देशी शराब पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा क्योंकि सस्ता होने की वजह से लोग इसे खरीद कर आसानी से पी लेते हैं और तरह तरह से नैतिक मूल्यों को तार–तार करते रहते हैं। परन्तु, सरकारी तंत्र द्वारा यह महसूस किया गया कि जब तक शराब पूरी तरह से बंद नहीं होती तब तक समाज का भला नहीं होगा इस तरह सरकार ने पूर्ण शराबबंदी कानून बनाकर एक तरह से अभूतपूर्व प्रयास किया है ।

बिहार में बिताये समय और अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई हैं, सड़क दुर्घटना में कमी दर्ज की गयी है, गांवों में सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन सुधार की राह पर चल पड़ा है । आने वाले समय में पूरा प्रदेश निश्चित प्रगति को प्राप्त करेगा ।

अब प्रश्न ये जरूर उठता है कि शराबबंदी से सरकार को या प्रदेश को या फिर जनता को नुकसान क्या होगा तो इसका एक ही जबाव है..... कुछ नहीं, क्योंकि राजस्व तो शराब के मूल्य के ऊपर लगायी जाती है और यदि शराब का मूल्य चुकाया ही नहीं जायेगा तो वह राशि हमारे देश या प्रदेश के पास ही रह जायेगा जो कि राजस्व से कहीं ज्यादा होगा ।

जब शराबबंदी का विश्लेषण तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है तो उनको इसके फायदे से ज्यादा नुकसान दिखता है । उनको बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौत तो दिखती है, परन्तु शराबबंदी की वजह से जो जिंदगियां संवर रही हैं वे नहीं दिखता । वो लोग अच्छी बातों की चर्चा करने की बजाय कानून को लागू करने को लेकर जो खमियां बरती जाती हैं, उसकी चर्चा पर जोर देते हैं ।

आज बिहार के जैसा कानून देश के सभी प्रदेशों में आवश्यक जान पड़ता है । दूसरे किसी सख्त कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर शराबबंदी को सख्ती से लागू कर दिया जायेगा । क्योंकि, शराब पीकर गाड़ी चलाने से सड़क पर दुर्घटना होती है । शराब पीकर ही ज्यादातर कुकृत्यों को अंजाम दिया जाता है ।

शराबबंदी कानून के आने से ये सारी घटनाएं अपने आप कम होती चली जाएंगी और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का निर्माण हो पायेगा । अतः शराबबंदी कानून आज के समाज के लिए नितांत आवश्यक हो गया है ।

सोमनाथ चौधरी
प्रवर्तन अधिकारी
इलाहाबाद कार्यालय

कहीं विलुप्त ना हो जाए आदिवासी संस्कृति

अरविंद जयतिलक संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट आफ द वर्ल्ड इंडीजीनस पीपुल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियाँ पूरे विश्व में अपनी संपदा, संसाधन और जमीन से वंचित व विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं।

रिपोर्ट में भारत के झारखंड राज्य की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यहां चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारों परिवारों को आज तक मुआवजा तक हासिल नहीं हो सका है। गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण आज आदिवासी समाज अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। परसंस्कृति ग्रहण की समस्या ने आदिवासी समाज को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है, जहाँ वे न तो अपनी संस्कृति बचा पा रहे हैं और न ही आधुनिकता से लैस होकर राष्ट्र की मुख्यधारा में ही शामिल हो पा रहे हैं। बीच की स्थिति के कारण ही उनके जीवन और संस्कृति पर संकट मंडराने लगा है। यह सब कुछ उनके जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के कारण ही हुआ है।

भारत में ब्रिटिश शासन के समय सबसे पहले जनजातियों के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जनजातियों की निर्धनता का लाभ उठाकर ईसाई मिशनरियों ने उनके बीच अनाज, कपड़े और औषधियां बांटनी शुरू की। लिहाजा, जनजातियों का उनकी ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था। लिहाजा, बड़े पैमाने पर जनजातियों का धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन सच कहा जाए तो जनजातियों के जीवन में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ईसाइयत न तो उनकी गरीबी, बेरोजगारी को कम कर पाई और न ही उन्हें इतना शिक्षित ही बना पाई कि वे स्वावलंबी होकर अपने समाज का भला कर सके।

विवाह और सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में उन्हें अब भी एक पृथक समूह के रूप में देखा जा रहा है। आज भारत के उत्तर–पूर्वी तथा दक्षिणी भागों की जनजातियों में कितने ही व्यक्ति अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। उन्होंने धीरे–धीरे अपनी मूल भाषा–बोली का ही परित्याग कर दिया है।

सच तो यह है कि प्रत्येक समूह की भाषा में उसके प्रतीकों को व्यक्त करने की क्षमता होती है और यदि भाषा में परिवर्तन हो जाए तो समूहों के मूल्यों और उपयोगी व्यवहारों में भी परिवर्तन होने लगता है। सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्श नियमों का क्षरण होने से आदिवासी समाज संक्रमण के दौर से गुजरने लगा है।

जनजातियों की संस्कृति पर दूसरा हमला कारपोरेट जगत और सरकार की मिलीभगत के कारण भी होने लगा है। जंगल को अपनी मातृभूमि समझने वाले जनजातियों के इस आशियाने को उजाड़ने का जिम्मा खुद सरकारों द्वारा उठा लिया गया है। जंगलों को काटकर और जलाकर उस भूमि को जिस प्रायोजित तरीके से उद्योग समूहों को सौंपा जा रहा है, उसका भी प्रभाव संस्कृति पर साफ देखा जा रहा है।

मूलवासी जनसमूह व्यावसायिक और एक फसल के कारण आजीविका के संकट से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही वे कई तरह की बीमारियों से भी लड़ रहे हैं। अगर विकसित देश अमेरिका की ही बात की जाए तो आम आदमी की तुलना में आदिवासी समूह के लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है।

आस्ट्रेलिया में आदिवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के बच्चे की तुलना में आदिवासी समुदाय के बच्चे की आयु का

अंतर 20 साल, ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।

विश्व स्तर पर देखें तो आदिवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाइप–2 मधुमेह से पीड़ित हैं। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि इस सदी के अंत तक जनजातीय समाज की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव के कारण अन्य लोगों के बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद ज्यादा है।

आदिवासी जन समुदाय की दीन–दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है, लेकिन दुनिया के 90 करोड़ गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या एक तिहाई है। विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी और सेहत को बनाए रखने के लिए जरूरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण आदिवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं।

आज जरूरत है जनजातियों की संस्कृति और उनके जीवन को बचाने की है। अन्यथा संस्कृति और समाज की टूटन जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से तो अलग करेगी ही, उन्हें हिंसक घटनाओं की ओर भी जाने के लिए उकसायेगी और वे दंतेवाड़ा जैसी घटनाओं को अंजाम देने से तनिक भी नहीं हिचकेंगे। आदिवासियों की कहानी में, यह कविता आदिवासी महिलाओं का वर्णन करती है ।

उनकी आँखों की पहुँच तक ही
सीमित होती उनकी दुनिया
उनकी दुनिया जैसी कई–कई दुनियाँ,
शामिल हैं इस दुनिया में / नहीं जानतीं वे
वे नहीं जानती कि

कैसे पहुँच जाती हैं उनकी चीजें दिल्ली
जबकि राजमार्ग तक पहुँचने से पहले ही
दम तोड़ देतीं उनकी दुनिया की पगडण्डियाँ

नहीं जानती कि कैसे सूख जाती हैं
उनकी दुनिया तक आते–आते नदियाँ
तस्वीरें कैसे पहुँच जाती हैं उनकी महानगर
नहीं जानती वे ! नहीं जानतीं !!

महिलाओं को समानता आदिवासी समाज में अधिक हैं। आदिवासी समाज को बचाने के लिए, यह महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से किया जा सकता है।

नरेश कुमार दसौंधी
आशुलिपिक – II
राँची कार्यालय

सकारात्मक विचारों की ताकत

एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, उसे बहुत ज्यादा आय कर देना पड़ता है आदि – आदि।

इन्ही बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था।

एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिये, वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहीए उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी।

होमवर्क का टाइटल था वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगतीं लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं।

इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पैरा पढ़ना शुरू किया बच्चे ने लिखा था।

● मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिलकुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं।

● मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं।

● मैं सुबह – सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद् देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ।

● मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं और मुझे इस बात की ख़ुशी है कि मेरे पास पिता हैं क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं।

बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गयी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर वह अंतिम वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गयी थी। फिर वह व्यक्ति थोडा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया।

● मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है।

● मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं हैं और वो दुनियाँ में बिल्कुल अकेले हैं।

● मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुःख में साथ देने वाले लोग हैं।

● मैं बहुत ज्यादा आय कर भरता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी/व्यापार है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से बहुत सी चीजों और सुविधाओं से वंचित हैं।

'हे ! मेरे भगवान् ! तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया।'

इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गयी, उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एक दम से जैसे ख़त्म हो गयी। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा।

'हमारे सामने जो भी परेशानियाँ हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिये से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिये से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी, हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियाँ, सारे तनाव एक दम से ख़त्म हो जायेंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए – नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे।'

संदीप
अपर श्रेणी लिपिक
अहमदाबाद कार्यालय

कन्या भ्रूण हत्या : एक अभिशाप

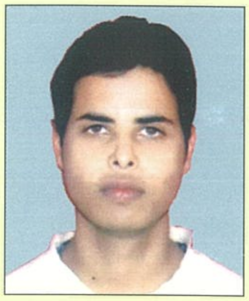

प्रकृति की हर वस्तु एवं प्राणी में स्वाभाविक सन्तुलन देखा जाता है, किन्तु मानव ने प्रकृति के दोहन की आदत के फलस्वरूप अपने स्वार्थ के लिए इस सन्तुलन को बिगाड़ने का कार्य किया है। इसने न केवल औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण का दोहन कर प्राकृतिक सन्तुलन को बिगाड़ा है, बल्कि स्त्रियों के साथ अन्याय कर, स्त्री–पुरुष के लिंगानुपात को घटानें का अमानवीय कार्य भी किया है। स्त्री–पुरुष लिंगानुपात में पिछले कुछ दशकों में आई भारी गिरावट का मुख्य कारण कन्या भ्रूण–हत्या है। प्रौद्योगिकीय प्रगति के फलस्वरूप अब गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच कराना आसान हो गया है। गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बाद मादा भ्रूण होने की स्थिति में उसे मां के गर्भ में ही खत्म कर देना, कन्या भ्रूण–हत्या कहलाता है।

कन्या भ्रूण–हत्या आज एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है, जो कई और गम्भीर समस्याओं की भी जड़ है। इसके कारण महिलाओं की संख्या दिन–प्रतिदिन घट रही है।

भारत में कन्या भ्रूण–हत्या के कई कारण हैं। प्राचीन काल में भारत में महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे। किन्तु, विदेशी आक्रमणों एवं अन्य कारणों से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाने लगा एवं समाज में पर्दा–प्रथा, सती–प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हो गईं। महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं होने का कुप्रभाव समाज पर भी पड़ा। लोग महिलाओं को अपने सम्मान का प्रतीक समझने लगे। धार्मिक एवं सामाजिक रूप से पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाने लगा एवं महिलाओं को घर तक ही सीमित कर दिया गया। इसके कारण सन्तान के रूप में नर शिशु की कामना करने की गलत परम्परा समाज में विकसित हुई। सन्तान प्राप्ति की प्रक्रिया में गर्भधारण महिला को ही करना पड़ता है। युवावस्था में प्रेम के फलस्वरूप गर्भधारण को हमारा समाज पाप मानता है। जिस परिवार की किशोरी ऐसा करती है, समाज में उसकी निन्दा की जाती है। इसके अतिरिक्त यौन–संबंध बनाने की स्थिति में भी महिला की ही निन्दा अधिक की जाती है। इसे समाज ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इन्हीं कारणों से लोग चाहते हैं कि भविष्य में अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचने की किसी आशंका से बचने के लिए वे सिर्फ नर शिशु को ही जन्म दें। कोई भी महिला अपनी गर्भस्थ सन्तान को मारना नहीं चाहती, भले ही वह कन्या शिशु ही क्यों न हो, लेकिन परिजन विभिन्न कारणों से उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं।

कन्या भ्रूण–हत्या का एक बड़ा कारण दहेज–प्रथा भी है। लोग लड़कियों को पराया धन समझते हैं और उनकी शादी के लिए उन्हें दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। दहेज जमा करने के लिए कई परिवारों को कर्ज भी लेना पड़ता है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए लोग गर्भावस्था में ही लिंग–परीक्षण करवा कर कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसकी हत्या करवा देते हैं।

हमारे समाज में महिलाओं से अधिक पुरुषों को महत्व दिया जाता है। पहले महिलाएं पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर होती थीं। परिवार का पुरुष सदस्य ही परिवार के भरण–पोषण के लिए धनोपार्जन करता था। अभी भी कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत

कम है। उन्हें सिर्फ घर के काम–काज तक सीमित रखा जाता है। भारतीय समाज में यह अवधारणा रही है कि वंश पुरुष से ही चलता है, महिला से नहीं। इसलिए सभी लोग अपनी वंश परम्परा को कायम रखने के लिए नर–शिशु की चाह रखते है एवं उन्हें महिला शिशु की तुलना में अधिक लाड़ प्यार देते हैं।

भारत में भ्रूण–हत्या कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कन्या भ्रूण–हत्या पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो सका है। लोग चोरी छिपे एवं पैसे के बल पर इस कुकृत्य को अब भी अंजाम देते हैं। कन्या भ्रूण–हत्या एक सामाजिक अभिशाप है और इसे रोकने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही इस कुकृत्य को रोका जा सकता है। कानून तब तक कारगर नहीं होता, जब तक कि उसे जनता का सहयोग न मिले। जनता के सहयोग से ही किसी अपराध को रोका जा सकता है। कन्या भ्रूण–हत्या एक ऐसा अपराध है, जिसमें परिवार एवं समाज के लोगों की भागीदारी होती है। इसलिए जागरूक नागरिक ही इस कुकृत्य को खत्म करने में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठन समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए प्रयासरत हैं। इस कार्य में मीडिया भी अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। आवश्यकता बस इस बात की है कि जनता भी अपने कर्त्तव्यों को समझते हुए कन्या भ्रूण–हत्या जैसे सामाजिक कलंक को मिटाने में समाज का सहयोग करें।

ज़ुबैर ख़ान
आशुलिपिक
कालीकट कार्यालय

भारत में हिन्दी भाषा की स्थिति, अखिर ऐसा क्यों?

भारत में हिन्दी की स्थिति कुछ ऐसे हो गई है कि सवा सौ करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली या समझी जाने वाली भाषा पर आए दिन नए–नए अभियोग लगाए जाते हैं और इस मार्ग में नित्य नई बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं। राष्ट्रभाषा को राष्ट्रीय मंच से हटाने के लिए उस पर तरह–तरह के लेबल लगाए जाते हैं, उसे बदनाम किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है । इस भाषा पर एक बड़ा आरोप यह भी लगाया जाता है कि यह कठिन है और आम आदमी की समझ से बाहर है।

हिन्दी भाषा पर लगाया जाने वाला यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और दुराग्रहमूलक है, क्योंकि यह बनावटी तौर पर खड़ी की गई भाषा न होकर एक जीवन्त सामाजिक परम्परा और परिवेश की उपज एक सहज और समृद्ध भाषा है । परन्तु यदि कोई यह चाहे कि यह एकदम सरल और सपाट बन जाए तथा एक ही दिशा में एक ही गति से चलने लगे तो यह संभव नहीं है । दार्शनिक और दफ्तर के बाबू की भाषा के बीच अन्तर तो रहेगा ही । साहित्य समीक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता की भाषाएं भी भिन्नता लिए रहती है । समाज के विभिन्न वर्गो द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाएँ नाना प्रकार की विशिष्टताएँ और भिन्नताएँ लिए रहती हैं । लेखक भी अपने स्वभाव, संस्कार, विश्वास, बौद्धिक स्तर, शिक्षा और माहौल के अनुसार भिन्न–भिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं ।

यदि कोई यह चाहे कि दर्पण, चेहरे के उभारों, कोंणों, गोलाइयों और अभावों को उनके असली रुप में प्रतिबिंबित न करके उसे सीधा और सपाट दिखा दें तो यह उसकी नासमझी होगी। भाषा समाज की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होती है, और समाज की ये आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती। भाषा ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे एक निश्चित अवधि में और एक निश्चित समाज द्वारा बनाया जा सकता है । यदि हमे अपनी मातृभाषा को बोलने में हीनता महसूस कर रहे हों तो समझ लो कि आप सांस्कृतिक मौत को बुलावा दे रहे हैं।

सरकारी दफ्तरों, बैंको में एक रस्मी सूचना अवश्य लगी होती है – हिन्दी में व्यवहार करें तो प्रसन्नता होगी पर व्यवहार रुप में हिन्दी कहीं दिखाई नहीं देती।

अंग्रेजी में कामकाज होता है और वार्तालाप भी। खेद तो तब होता है और महसूस होता है, जब ठेठ हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग अंग्रेजी में बतियाते या भाषण देते दिखाई देते हैं। संसद के गलियारों से लेकर सदन में भाषण भी नेता अंग्रेजी में ही देना पसंद करते हैं। सारी विज्ञाप्तियाँ ज्यादातर अंग्रेजी में जारी की जाती हैं। जब तक हम अंग्रेजी के प्रति अपना अनुचित मोह नहीं छोड़ते और स्वदेशी भाषा को अपनी शिक्षा तथा कामकाज का माध्यम नहीं बनाते तब तक हमें हिन्दी कठिन और क्लिष्ट ही लगती रहेगी ।

हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र है अतः हमें अपनी हीनता का परित्याग करके कुछ ऊँचा कदम उठाना चाहिए । जिस स्वदेशी भाषा को हमारे फैशन परस्त बुद्धिजीवी कठिन बतलाकर भला बुरा कहते हैं । वे भारतीय लोक परम्परा और परिवेश की उपज है । इन्हें भारतीय संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता । यदि हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो अपनी भाषा को अपनाना जरूरी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा संस्कारों की जैसी अभिव्यक्ति हिन्दी करती है और कर सकेगी, वैसी और कोई भाषा नहीं ।

धर्म देव नेगी
प्रवर्तन अधिकारी
चंडीगढ़ कार्यालय

नई सुबह

यूं बैठे ही बैठे जाने कहाँ मैं खो गया
भूली बिसरी यादें दिल को तड़पा गई
दिन ढल गया और शाम आ गई
आंखों ही आंखों में रात कट गई

जीवन की सच्चाई को क्यों न समझ लिया
न कोई कुछ लाया न कोई कुछ ले गया
फिर क्या पाने को दिल छटपटा गया
क्यों चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया

क्या है मेरी अब तक की कमाई
सोचते ही सोचते नींद आ गई
जब आंख खुली तो आशा लिए नई
नई सुबह की लाली चारों तरफ फैल गयी

जैसे किसी ने हाथ पकड़ कर उठा दिया
मेरी मंजिल है कहां बतला दिया
नई उमंगें नया जोश है, तन–मन में समाया
अब बनाना है मुझे रास्ता एक नया

आत्मविश्वास अपने में जगाना है
इरादों को बुलंदी तक पहुंचाना है
रास्तों में आई मुसीबतों से जूझना है
मंजिल तक अपनी पहुंचना है।

कन्हैयालाल
सहायक
मुख्यालय कार्यालय

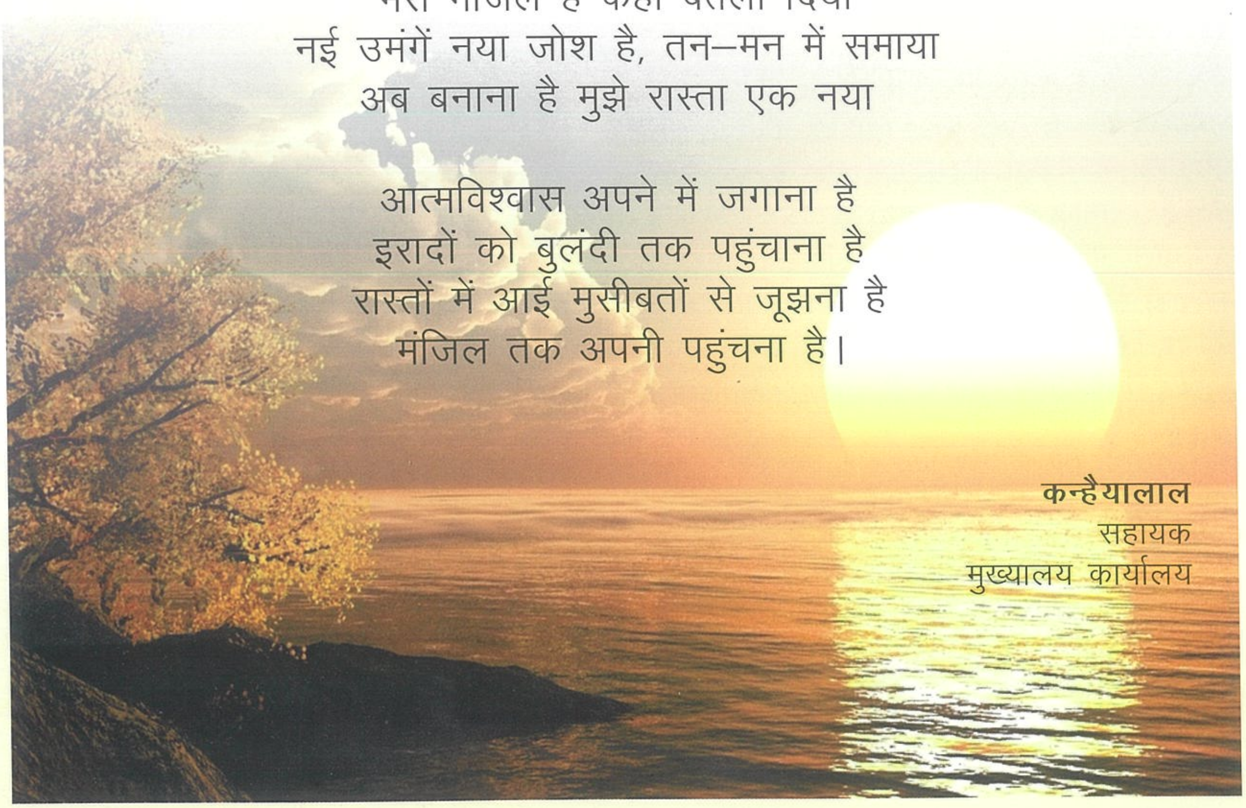

एक बार लौट आओ

तुम थे उस पेड़ जैसे
जिसकी तन की मैं बेली

पूरा बचपन तुम्हारे साये में
खूब चहक के मैं खेली

तुमने दिन भर धूप झेली
सही पतझड़, बारिश की मार

पर तुमने हमेशा मुझे बचाया
और दिया निस्वार्थ प्यार

तुम्हारे साथ के ठंडी छांव में
खूब पढ़ी मैं, खूब बढ़ी

सोचा अब मैं ध्यान रखूँगी
वृद्ध पेड़ की छड़ी बनूँगी

पर तुम अचानक चले गए
दुःख का बादल छा सा गया

दिल तुम्हारे लिए हरदम रोए
जीवन मेरा थम सा गया
बस एक बार लौट आओ ।

आराधना मण्डल
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
मुंबई कार्यालय।

बेटी आपका सौभाग्य है

पितृ प्रधान समाज में
बेटी की विदाई माता पिता पर
विधाता की मार होती है
वो भयग्रस्त होते हैं पता नहीं बेटी कहाँ कैसी होगी।

यहाँ घर आँगन में
हँसती खेलती, धूम मचाती
अनुभवहीन, जिद्द करने वाली
बेटी कहाँ, कैसी रहती होगी
यही भय माँ बाप को खाये जाता है, और
वो हाथ जोड़े कहते है
अगर कोई भूल हो जाये
तो अपनी ही बेटी समझकर
उसे माफ कर देना

बेवजह उनसे बेटी की खुशी के लिए
हाथ जोड़े क्षमा माँगना
यहाँ का एक क्रूर दस्तूर है

बेटी पराया धन नहीं, आपका सौभाग्य है
इसे अपमानित ना होने दें
बेटी को शिक्षित और सक्षम बनाकर
अपने पैरों पर खड़ा होने का गर्व
महसूस करने दें

बेटी को सीख अन्याय सहने की नहीं
उसका प्रतीकार करने की दें
जरा सोचें और
अपनी सोच और विचारों को बदले

बेटी अर्धांगिनी और जीवनसाथी बनती है
जीवनसाथी के रूप में
वो समानता की अधिकारी है
अर्धांगिनी के रूप वो में समानता की अधिकारी है

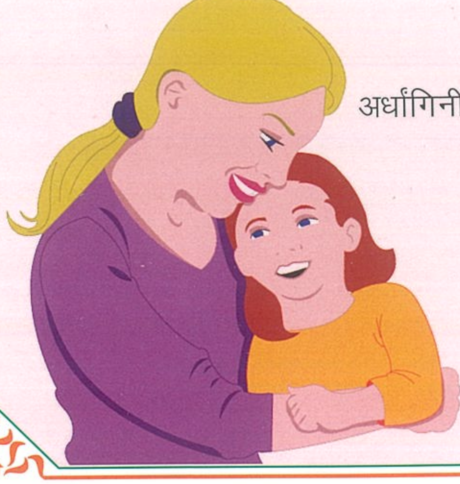

बेटी यहाँ हो या वहाँ
उसे बेटी ही समझा जाये
जिस घर में वह रहती है
उस घर की वह लक्ष्मी है।

प्रतिमा कुमारी
आशुलिपिक–II
रायपुर कार्यालय

आगे ही आगे बढ़ते जाना है तुझको

आगे ही आगे बढ़ते जाना है तुझको
रूकना नहीं थकना नहीं।
बाधाओं को हंसते हुए करना तू पार
डर कर कभी भी रोना नहीं।

असफलताओं से घबराना नहीं
ये ही तो बनाएंगे तुम्हें काबिल।
सतत् प्रयासों के बलबूते ही
कर पाओगे अपनी मंजिल हासिल।

निर्झर सदैव बढ़ता है आगे
बाधाओं से मुंह फेरता नहीं।
चट्टानों को चीर कर
मार्ग बनाता अपना वही।

आत्मविश्वास से बढ़ता चल आगे
मुड़ना नहीं झुकना नहीं।
आगे ही आगे बढ़ते जाना है तुझको
रूकना नहीं थकना नहीं।

जूही कुमारी
अवर श्रेणी लिपिक
रायपुर कार्यालय

अपनी लाइफ

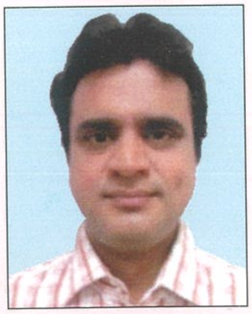

जब हमने जन्म लिया तो शायद मुझे मिली अपनी लाइफ,
फिर मालूम नहीं कैसे कटी कुछ साल अपनी लाइफ,

यौवन आते ही माता पिता ने कहा बेटा अब शुरू हो गई तेरी अपनी लाइफ
पर मुझे तो और कहीं दिखती थी अपनी लाइफ,
कभी किताबों में तो कभी खेल में और तो कभी किसी चेहरे पर दिखती थी
अपनी लाइफ,

कॉलेज शुरू होते ही माता पिता ने फिर कहा
'बेटा गंभीरता से लेनी है तुझे अपनी लाइफ',
अब कभी कॉमन रूम में तो कभी पार्क में और तो कभी
किसी दूसरे चेहरे पर दिखने लगी अपनी लाइफ,

पर पता नहीं कैसे, मैंने सही में गंभीरता से ले ली अपनी लाइफ,
नौकरी मिली और मिलते ही माता पिता कहने लगे 'बेटा शाबाश, बन गयी तेरी अपनी लाइफ',
अब मुझे बड़े बड़े ख्वाबों में दिखने लगी अपनी लाइफ,

शादी हुई और पंडित जी के साथ बोले
'बेटा अब से यह है तेरी अपनी लाइफ'
मैं पड़ा असमंजस में, यह है मेरी अपनी लाइफ या पहले वाली थी अपनी लाइफ,
अरे ये क्या, इतने में तो मुझे ही किसी ने बना डाला अपनी लाइफ,
दिन गुजर गए, साल गुजर गए, बिना सोचे समझे बिताता गया अपनी लाइफ,
पूजा किया मन्नत मांगी बस समझने अपनी लाइफ,

फिर एक दिन यमराज आये और बोले बेटा बीत गयी तेरी अपनी लाइफ,
हाथ जोड़ यमराज से पूछा कृपया कर मुझे यह बताएं की कौन सी थी मेरी अपनी लाइफ?
उत्तर मिला "बेटा जितने भी दिन तूने दूसरों के लिया जिया वोह वाली थी तेरी अपनी लाइफ,
कसम दोस्तों, अगर मिली दुबारा यह जिंदगी तो समझ कर बिताऊंगा अपनी लाइफ ।

राणा बनर्जी
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
नागपुर कार्यालय

बेटा-बेटी में फर्क क्यों?

बेटे का है मान देश में बेटी का कोई मान नहीं
ऐ मेरे भगवान बता दे क्या बेटी इन्सान नहीं ।

क्या लेकर आया बेटा, बेटी ने क्या खोया है
पैदा होते ही जीवन में बेटे ने क्या बोया है ।
तूने लाल को दूध पिलाया, बेटी को दी छाछ नहीं ।
ऐ मेरे भगवान बता दे क्या बेटी इन्सान नहीं ।।

पढ़ा–लिखा दे बेटी को भी तेरा क्या घट जायेगा ।
तीन कुलों को पार उतारेगी बेटी, मान तेरा बढ़ जायेगा ।।
बेटा–बेटी में क्या अन्तर दोनों ही हैं संतान सही में ।
प्यार करो दोनों को बराबर भेद करो न बेटा बेटी में ।।
बेटे को तू कॉलेज भेजे बेटी को कोई अक्षर ज्ञान नहीं ।
ऐ मेरे भगवान बता दे क्या बेटी इन्सान नहीं ।।

सोच बदल दे इस मानव की हे मेरे भगवान तू ही।
ज्ञान का चक्षु खोल दे इसका क्यों बेटी को मान नहीं ।।
खेल–कूद विज्ञान, ज्ञान जगत में बेटी भी कोई कम नहीं,
क्यों बेटे की चाहत में भ्रूणपात हो क्या बेटी सन्तान नहीं ।
ऐ मेरे भगवान बता दे क्या बेटी इन्सान नहीं ।।

सुरेश कुमार
आशुलिपिक ग्रेड–।
चैन्नई कार्यालय

हर दिल में एक दिया जलाएं

दूर तिमिर हो, रौशन जग हो,
हर दिल में एक दिया जलाएं,
सृजनशील, नव कल्पना की लौ से,
जीवन में एक अलख जलाएं,
हर दिल में एक दिया जलाएं।।

जन जन में शिक्षा का संचार,
ओजपूर्ण हो मानव व्यवहार,
जीवन–मूल्य संग नारी–सम्मान,
ऐसी हम एक दिशा दिखाएँ,
हर दिल में एक दिया जलाएं।।

न जात–पात, न मजहब की बाधा,
मन में भाईचारे का बुलंद इरादा,
नव–ऊर्जा, नई सोच से सिंचित,
ऐसा हम एक जहाँ बनायें,
हर दिल में एक दिया जलाएं।।

विकसित सोच संग नए प्रयोग,
युवा शक्ति का हो सही उपयोग,
राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत हो जीवन,
मानवता को हम यूं बहकाएं,
हर दिल में एक दिया जलाएं।।

राह कठिन है, निरंतर चलना है,
प्रगति के पथ पर आगे ही बढ़ना है,
इंसानियत की हो जीत जहाँ पर,
आओ कुछ ऐसा कर जाएँ,
हर दिल में एक दिया जलाएं।।

प्रवीण कुमार झा
प्रवर्तन अधिकारी
मुख्यालय कार्यालय

अमृत घट

अमृत घट भरने को लाख प्यार कम है
पर रोज जहर पीने को एक प्यार काफी है।

किस्मत दो आँखों की अलग–अलग होती है
कोई अश्रु पानी है कोई अश्रु मोती है।

सौ–सौ संज्ञायें हम हवा जल को देते हैं
मन हल्का करने को आँखें बोझा ढोती हैं।

जिंदगी उभरने को एक लहर–लहर नौका है
पर उम्र डूब जाने को एक लहर काफी है।

अमृत घट भरने को लाख प्यार कम है
पर रोज जहर पीने को एक प्यार काफी है।

सूरज जो डूबा तो मन डूबा जाता है
छाया छुप जाती है जीवन पछताता है।

सतरंगी बादल सब विष से बुझ जाते हैं
अंधियारा धीरे से आँचल फैलाता है।

गिन–गिन कर दिन काटो तो उम्र बहुत लम्बी है
पर स्वांस–स्वांस ढोओ तो एक भार काफी है।

अमृत घट भरने को लाख प्यार कम है
पर रोज जहर पीने को एक प्यार काफी है।

सुख की सौ–सौ किरणों से छन–छन कर आया है
कितना ही थोड़ा हो पर दुख सबने पाया है।

सूनी सब राहें पर चरणों को लगता है
आगे भी छाया है पीछे भी छाया है।

पत्थर मन जियो तो, तो एक उम्र थोड़ी है
घुट–घुट कर जीने को एक हार काफी है।

अमृत घट भरने को लाख प्यार कम है
पर रोज जहर पीने को एक प्यार काफी है।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
सहायक निदेशक
इंदौर कार्यालय

माँ की बेबसी

वाह रे जमाने तेरी हद हो गई।
पत्नी के आगे माँ बेकार हो गई!
बड़ी मेहनत से जिसने पाला, आज वो मोहताज हो गई!
और कल की पत्नी, तेरे सर का ताज हो गई!
पत्नी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई!
वाह रे जमाने तेरी हद ....

पेट पे सुलाने वाली, पैरों में सो रही है!
पत्नी के लिए लिम्का, माँ पानी को रो रही है!
सुनता नहीं कोई, वो आवाज देते देते सो गई!
वाह रे जमाने तेरी हद ....

माँ मांजती है बर्तन, वो सजती संवरती है !
अभी निपटी ना बुढ़िया तू, इसलिए उस पर बरसती है !
अरे दुनिया को आई मौत, मौत तेरी कहाँ गुम हो गई !
वाह रे जमाने तेरी हद ....

अरे जिसकी कोख में पला, अब उसकी छाया बुरी लगती है,
बैठे होण्डा पे पत्नी, कन्धे पर हाथ जो रखती,
वो यादें अतीत की, वो मोहब्बतें माँ की, सब बेकार हो गई !
वाह रे जमाने तेरी हद ....

बेबस हुई माँ अब, दिए टुकड़ों पर पलती है,
अतीत को याद कर, तेरा प्यार पाने को मचलती है!
अरे मुसीबत जिसने उठाई, वो खुद मुसीबत हो गई !
वाह रे जमाने तेरी हद ....

कृपाशंकर मीना
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
कालीकट कार्यालय

माँ की बारी (लघु कहानी)

आज दफ्तर में बहुत काम था,
बहुत थक गया था मैं।
रास्ते में ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा था।
सिर बहुत तेज़ दुख रहा था।
सोच रहा था, जाते ही गर्मागरम चाय पीऊँगा
और सो जाऊँगा।
घर पहुंचते माँ की तेज़ गुस्से में भरी आवाज़ आई
मैं बीमार हूं,
दिन भर घर संभालती हूँ
गैस वाला आ गया,
सिलेंडर फिर लीक ले आया था।
धोबी आया था, कपड़े गिने हुए नहीं थे।
टेलीफोन ठीक करने वाला आया था,
सब मेरे ही ज़िम्में हैं,
मुझे तो कोई बीमार समझता ही नहीं है,
संभालो अपनी गृहस्थी और मुझे बख़्शो।
हम तो बुडढ़े बुढ़िया अपना बना खा लेंगे।
मैं झल्ला गया।
माँ में अभी घर में घुसा ही हूँ और
तुम आते ही शुरू हो गईं
कब कहूँ तुमसे?
सुबह तुम जाने की जल्दी में होते हो
और अब अपने कमरे में घुस जाओगे।
मैं दिन भर पड़ी रहती हूं,
कोई पानी पूछने वाला नहीं होता,
वो घर में घुसते ही,
मोबाइल कान में लगा लेती हैं।
दिन भर नासपीटे पीहर वाले फोन करते रहते हैं।
कब कहूँ? किससे कहूँ?
बेबस माँ रो पड़ी।
माँ में बहुत परेशान लौटा हूँ
तुम आते ही शुरू मत हुआ करो
पत्नी भी मेरे ही साथ साथ परेशान लौटी थी।
आते ही मेरा छोटा बेटा उससे लिपट गया
और रोने लगा
आप को मेरी परवाह नहीं है।
कल मुझे प्रॉजेक्ट सबमिट करना है
भैया ने मुझे आज फिर सबके सामने मोटा कहा
मुझे आपने बॉल भी नहीं दिलाई।
मेरे लिये किटकैट भी नहीं लाईं।
पत्नी ने उसे गोद में भर लिया और
ढेर सारी चुम्मियाँ जड़ कर कहा
मेरे राजा बेटा अभी सब हो जायेगा।,
मुझे लगा

मेरी माँ भी जब स्कूल से लौटती थी
तो मैं भी आते ही उसे पास
सारी परेशानियाँ शिकायतें
और फ़रमाइशें ले आता था
और माँ मुझे प्यार से गले लगा लेती थी।
अब तो माँ की बारी थी।
मेरी आँखें छलछला आईं,
मैंने माँ को बाहों में जकड़ा,
उसके गाल पर चुम्मी ली
और उसके आँसू पोंछने लगा।

विवेक श्रीवास्तव
सहायक निदेशक
जयपुर कार्यालय

हिन्दी भाषा

भारत की पहचान है हिन्दी
हम सब की शान है हिन्दी
राष्ट्र एकता का आधार है हिन्दी
भारतीय संस्कृति का मूलाधार है हिन्दी ।

सुहागिन का सुहाग है बिन्दी
भाषाओं का सुहाग है हिन्दी
सदा रही है सदा रहेगी
भाषा जग की बनी रहेगी ।

हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई
सबका इससे नाता है
अंग्रेजी से आगे बढ़कर
हिन्दी मुस्कायेगी
राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाती
विश्व भाषा बन जायेगी ।

पूरब पश्चिम बीच सेतु
हिन्दी ही बन जाएगी
अंग्रेजी चीनी से आगे विश्व भाषा बन आयेगी ।

भोलानाथ
सिपाही
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

एक हार की जीत

आज मैंने कुछ खोया, कुछ पाया है ।
दिल की आवाज ने यह समझाया है ।।
यह वही बात है जो हमने न जानी थी ।
पर वो तो सिर्फ दिल ने पहचानी थी ।।
पहचानने में सिर्फ थोड़ी ही देर थी ।
अन्यथा जीत मेरे आगे ही ढेर थी ।।

खोने की कोई बात नहीं है जिन्दगी की राह में,
पर पाना तो है जीवन की हर बात को चाह में
रोक जीवन के पथ को संयम को भूल
जान सका न स्वयं को न जान सका निज मूल
आज जान सका हूँ हार क्या चीज होती है ।
आत्म संयम को खोने की मात क्या होती है ।।

खोई है जीत पर नये दिल का नजरिया पाया है
दिल के नजरिए के जरिए आत्मसंयम अपनाया है
ऐ खुदा मांगू दुआ संयम को खाली न करना
हार जाने पर कभी ग्लानि से न भरना
ज्ञान है हार पाकर अब मजबूत हूँ ।
पर जीत के लिए सम पवनपुत्र हूँ ।

रोक नहीं सकता कोई मुझे जीत जाने से ।
दृढ़ हो गया हूँ मैं अब खुद पर हार आजमाने से ।।
है शपथ कि आज से आत्मसंयम न तोड़ूंगा
अनेक प्रयासों के बल पतित जीवन को मोड़ूंगा
जीवन के हर कदम पर संयम अपनाऊगां ।
संयम के जरिये अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊगां ।।

आज मैंने कुछ खोया, कुछ पाया है ।
दिल की आवाज ने यह समझाया है ।।

जे.ए. जैदी
सहायक
मुख्यालय कार्यालय

हिन्दी भाषा की मार्मिक गाथा

वो सिसकती, आहें भरती
सबके चरणों में विचरती,
अपने ही परिवार में था उसका बुरा हाल
फिर कोई अजनबी कैसे कर लेता उसको प्यार।

ये मैं नहीं या कोई और नहीं
ये है ''हिन्दी की मार्मिक गाथा''

उससे कोई अन्जान नहीं
पर सुध बुद्ध का उसको ज्ञान नहीं
पन्नों में सिमटी वो आहें भरती
सबके चरणों में विचरती
अपने ही परिवार में हुआ उसका तिरस्कार
फिर कोई अजनबी कैसे कर लेता उसको प्यार।

ये मैं नहीं या कोई और नहीं
ये है ''हिन्दी की मार्मिक गाथा''

आओ उसका गौरव बढ़ाएँ,
हिन्दी को उसके हक तक पहुंचायें,
एक उन्नति हो यह भी अपनी,
हिन्दी हो सब भाषाओं में अग्रणी।।
''जय हिन्द, हिन्दी, हिन्दुस्तान''

हरेन्द्र तोमर
अवर श्रेणी लिपिक
श्रीनगर कार्यालय

माँ की ममता

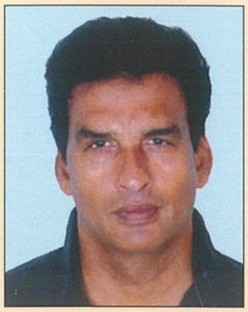

अब भी पल–पल याद आते हैं तेरे वो अहसान माँ,
तुझ से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान माँ ।
बड़े लाड़ से तुने मुझको अपने आंचल का दूध पिलाया माँ,
फूक से ठण्डा कर करके रोटी का कौर खिलाया माँ ।
गाकर लोरी बाहों के पलने में मुझे झुलाया माँ,
खुद मिले में सो करके सुखे में मुझे सुलाया माँ ।
माँ के अहसानों को भूला वह भी क्या इंसान है माँ,
माँ से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान माँ ।
चिड़ियों के जागने से पहले रोज सुबह उठ जाती माँ,
रात ढले जब सब सो जाते तब जाकर सो पाती माँ ।
बड़े–बड़े दुःख दर्द सभी कुछ हँस करके सह जाती माँ,
टूटी माला के मनकों को सदा समेटे रहती माँ ।
माँ तुझमें है नूर खुदा का ईश्वर की पहचान है माँ,
माँ से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान माँ ।
हारा थका कभी मैं तेरी गोदी में सो जाता माँ,
अपने गम के दुःखड़ों को तुम्हें सुना रो लेता माँ ।
टूटी माला के मनकों फिर से पो लेता माँ,
तू सारे सन्ताप मिटाकर भर देती अरमान माँ ।
तुझसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान माँ ।
माँ से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता और नहीं होता,
बिना स्वार्थ का रिश्ता इस जग में कोई और नहीं होता ।
माँ की पूजा से बढ़कर कोई देवी–देव और नहीं होता,
माँ की सेवाए लालन–पालन का मूल्य कोई और नहीं होता ।
भाग्यशाली है वो नर–नारी जो सदा करे गुणगान माँ,
माँ से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान माँ ।

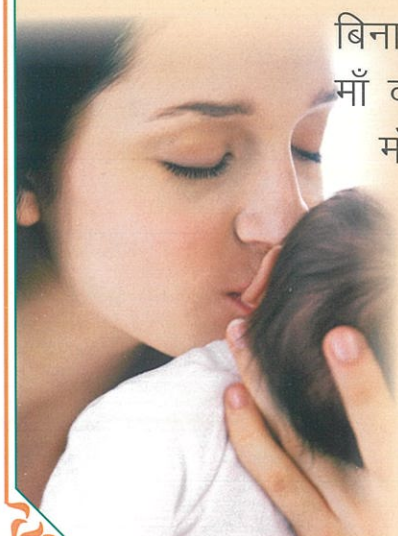

राकेशचन्द्र शर्मा
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
चैन्नई कार्यालय

वृक्ष लगाओ

वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ
वन में हरियाली लाओ, अपने जीवन को स्वच्छ बनाओ
वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ
आज संसार में मनुष्य लेता वृक्षों की जान
क्या मनुष्य नहीं जानता इससे है सबकी शान

हमारे जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए इन्होंने दिए बलिदान,
फिर भी यह सब भूलकर ले रहे हैं इनकी जान,
ईश्वर ने इन्हें बनाया हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान,
हटा प्रदूषण वातावरण से देते हैं यह जीवन दान,
वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ

जीवन में हरियाली लाओ
वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ

सचिन्द्रनाथ पांजा
वाहन चालक स्पेशल ग्रेड
मुख्यालय कार्यालय

भारत माँ के लाल कहो अब किसका तुम्हें मलाल है

भारत माँ के लाल कहो अब किसका तुम्हें मलाल हैं,
बढ़ी हमारी विश्व कीर्ति दुनिया में अपना मान हैं
खेतों में अपने हरियाली है भरे हुए धन–धान्य हैं,
जल थल और गगन में मुस्तैद देश के लाल हैं
हम नित नये कीर्तिमान बनाते उन्नत जग– विज्ञान है,
भारत माँ के लाल कहो अब किसका तुम्हें मलाल है...

अखंण्ड देश की शक्ति को कोई ना कोई शत्रु ललकार रहा,
हमारी सहनशक्ति को कोई कमजोरी मान रहा
जिनके घर में रोटी नहीं, हथियार मांग के लाते हैं,
विकास भुखमरी गरीबी के नाम पर दुनिया से भिक्षा पाते
हैं जिनका नहीं अस्तित्व कोई, न कोई नीति–धर्म,
वो हमको राजनीति सिखलाते हैं
बस इसका हमें मलाल है...

कुत्ते भौंक रहे शरहद पर, दबे पांव घुस आते हैं,
निर्दोष दुधमुहें बच्चे, बूढ़े उनसे मारे जाते हैं
जब सामना होता सरहद पर घंटों में पीठ दिखाते हैं,
हैं तो आखिर कुत्ते ही बस वैसे ही मारे जाते हैं
देख त्रासदी देश की हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं,
बस इसका मुझे मलाल है...

उल्टे हैं कर्म जिनके उल्टे ही पाठ पढ़ाते हैं,
अरे गीता कुरान रामायण क्या इंसा को हैवान बनाते हैं
कलुषित कर दी सीख शैतानों ने, जो राम रहीम पैगम्बर दे गये,
निर्दोषों की लाश के ढेर लगाकर देखो कैसे इठलाते हैं,
लेकिन मजबह के नाम पर, हमारे भाई बन्धु आपस में भिड़ जाते हैं
बस इसका हमें मलाल है ...

अमित कुमार सैनी
आशुलिपिक,
शिमला कार्यालय

बेटियाँ

बेटियां शुभकामनाएं हैं,
बेटियां पावन दुआएं हैं ।
जिनमें खुद भगवान बसता है,
बेटियां वे वन्दनाएं हैं ।

कांटो की राह पर चलती हैं बेटियाँ,
औरों की राह में फूल बिखेरती हैं बेटियाँ ।
कहने को पराई अमानत हैं बेटियाँ,
पर बेटों से भी बढ़कर अपनी होती हैं बेटियाँ ।

दो–दो कुलों की लाज होती हैं बेटियाँ,
हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती होती हैं बेटियाँ ।
बेटा है आँख तो पलक होती हैं बेटियाँ ।
जीवन का सारांश होती हैं बेटियाँ,

ओस की बूंद होती हैं बेटियाँ ।
पापा की प्यारी व दादा की दुलारी होती हैं बेटियाँ,
बेटा अगर बुढ़ापे की लाठी तो आंखों की रोशनी होती हैं बेटियाँ ।
जीवन के हर उतार चढ़ाव में मददगार होती हैं बेटियाँ,

बेटो से अधिक समझदार होती हैं बेटियाँ ।
पिता का अभिमान होती हैं बेटियाँ,
घर की रौनक और माँ का दुलार होती हैं बेटियाँ ।
बेटियाँ देश में महान होती हैं ।

बेटियों ने रोशन किया नाम दुनिया में ।
कई देशों में प्रधान होती हैं बेटियाँ ।

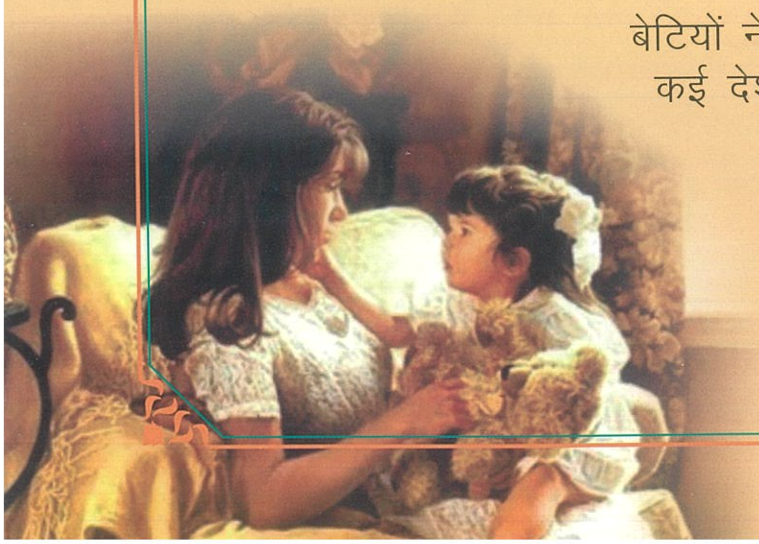

प्रेम चन्द रायकवार
अधीक्षकं विधि
मुख्यालय कार्यालय

रोटी की तलाश में

रोटी की तलाश में ,
इस अनजान शहर में आ गए हम।
गाँव की शीतल छाँव से निकलकर,
इस कंक्रीटों के बीहड़ में आ गए हम।

मीठी नदी का पानी छोड़कर,
समुद्र की खारी लहर में आ गए हम।
रोटी की तलाश में ,
इस अनजान शहर में आ गए हम।

इस शहर की भीड़ में भी तन्हाई मिलती है,
प्यार और वफा के वेश में भी रूसवाई मिलती है।
दौलत की चकाचौंध में अन्धे होते जा रहे हैं,
अपनों को पीछे छोड़कर कहते हैं आगे जा रहे हैं।

रोटी की तलाश में ,
इस अनजान शहर में आ गए हम।
अपनों के अमृत का प्याला छोड़कर,
परायों के मीठे जहर में आ गए हम।

इंसा थे हम सच्चे दिल के,
झूठी दुनिया के असर में आ गए हम।
रोटी की तलाश में ,
इस अनजान शहर में आ गए हम।

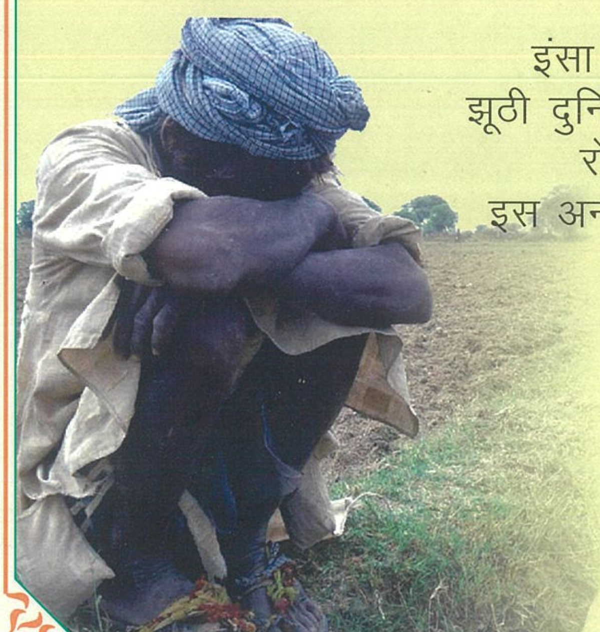

राज कुमार कर्ण
प्रवर्तन अधिकारी
पटना कार्यालय

याद रह गई वो बचपन की कहानी

लौटा दो मेरे बचपन की कहानी
वो माँ का सुबह नाश्ता बनाना
मौका लगा तो क्रिकेट के लिए भाग जाना
फिर वापिस आना तो माँ की डांट खाना
वो बात कहाँ है चल रही इस जवानी में
लौटा दो मेरे बचपन की कहानी।

वो कॉलेज की यादें वो दोस्तों की बातों का तराना
एक तबला बादक दूसरा शायरी का खजाना
याद आता है वो बचपन सुहाना
पिटाई के डर से स्कूल को न जाना
बादलों का सही समय पर टकराना
बारिश का बहाना स्कूल से रूक जाना
गया वो बचपन याद आती है कहानी
लौटा दो मेरे बचपन की कहानी ।

वो सना हुआ जूता, वो बरसात का पानी
आम के बगीचे में चुपके से घुस जाना
मालिक का आना दोस्तों का भाग जाना
पकड़े गये तो किसी का नाम न बताना
गया वो बचपन यादों में है कहानी
लौटा दो मेरे बचपन की कहानी।

वो शिव का मंदिर और वो चैती का मेला
ना थी कोई चिंता, ना कोई झमेला
ना दुनिया का गम था, ना रिश्तों का बंधन
बड़ी खुबसूरत थी वो जिंदगानी
लौटा दो मेरे बचपन की कहानी।

दोस्तों का आना उनके साथ चुपके से भाग जाना
खिलखिलाती धूप में पूरे दिन खेल जाना
ना घर की कोई चिंता ना किसी से इतराना
बचपन की यादें, याद रह गया कुछ अफसाना
गया वो बचपन यादों में है कहानी
लौटा दो मेरे बचपन की कहानी।

मनोज कुमार
आशुलिपिक
देहरादून कार्यालय

जिंदगी

आहिस्ता चल जिंदगी, अभी,
कई कर्ज चुकाना बाकी है
कुछ दर्द मिटाना बाकी है
कुछ फर्ज निभाना बाकी है।

रफ्तार में तेरे चलने से,
कुछ रूठ गये तो कुछ छुट गए
रूठों को मनाना बाकी है
रोतों को हँसाना बाकी है।

कुछ रिश्ते बनकर, टूट गए,
कुछ जुड़ते–जुड़ते छूट गए
उन टूटे–छूटे रिश्तों के
जख्मों को मिटाना बाकी है।

कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं,
कुछ काम भी और जरूरी हैं
जीवन की उलझी पहेली को
पूरा सुलझाना बाकी है।

जब सासों को थम जाना है,
फिर क्या खोना, क्या पाना है
पर मन के जिद्दी बच्चे को
यह बात बताना बाकी है।

आहिस्ता चल जिंदगी, अभी,
कई कर्ज चुकाना बाकी है
कुछ दर्द मिटाना बाकी है
कुछ फर्ज निभाना बाकी है।

सुमन ठाकुर
सहायक
लखनऊ कार्यालय

हमें आगे बढ़ते जाना हैं।

कौन किसी का अपना यहाँ
कहाँ हर वक्त कोई
साथ निभाता है ।
सुख की ये दुनिया साथी
दुःख में तो बस
खुद की आँख ही रोता है ।।
अब शिकायत करें भी तो किस से......
देखा जाए
अंधेरे में अपनी छाया भी
अकेला छोड़ जाती है ।।

ये जीवन एक संघर्ष है........
हर लड़ाई खुद को ही लड़ना है ।
दिल तू अपना छोटा न कर,
आत्मविश्वास के दीये जलाए रख........

बुलंद कर हौसला अपना
सर उठा के जीना तो सीख......
आसमान को छूने का सपना देखा कर,

हमें आगे बढ़ते जाना है ।
हमें आगे बढ़ते जाना है ।।

देबीदत्त सारंगी
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
रायपुर कार्यालय

कारवाँ

उदास आंखों से गुजरते कारवाँ का नजारा करते हुए
एक पल ख्याल आया कि हर कारवाँ का अन्त होता है, धूल का गुबार
दिल के दर्द को एक क्षण के लिए दवा मिल गयी
मैंने सोचा प्यार भी तो एक कारवाँ है

जिसका अन्त होता है, दर्द भरे दिल, टूटे अरमानों का गुबार
इसके जाने के बाद रह जाती हैं, दर्द भरी यादें, कुछ स्मृतियाँ
जिस तरह कारवाँ गुजरने के बाद रह जाते हैं कारवाँ गुजरने के निशान
इन्सान की जिन्दगी भी तो एक कारवाँ है

जिसके सफर में अरमानों को पूरा करने की कशिश
में न जाने कितनों के अरमानों को कुचलता है इन्सान
लेकिन उसके जाने के बाद रह जाते हैं
इंसा के कर्मों के अफसानें

खुली आंखों के सामने गुजर रहा है जिन्दगी का कारवाँ
लेकिन उसके अंत का दीदार नसीब में नहीं सत्य तेरी आंखों के।

सत्येन्द्र सिंह
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

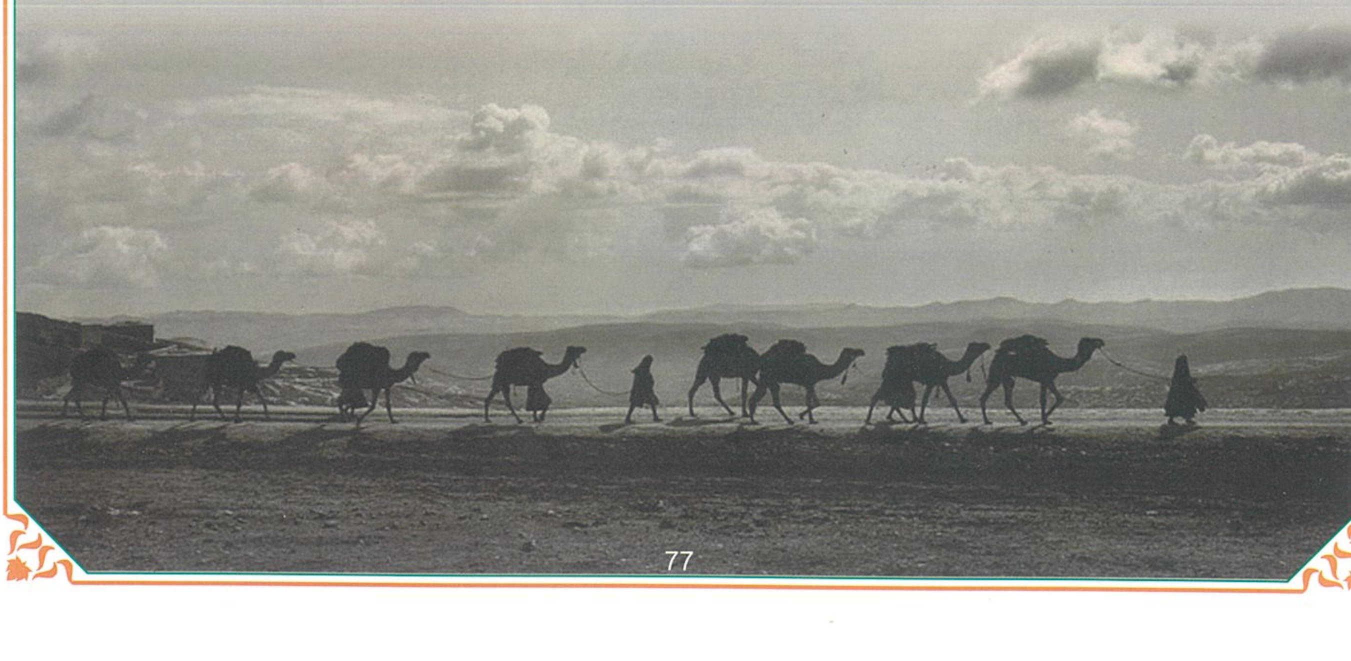

कविता

भारत को स्वच्छ बनाना है ।
भारत को स्वच्छ बनाना है ।।

आंखें बंद करके सोचा,
भारत को सुन्दर,
सुन्दर अति सुन्दर पाया,
कहीं फैली वीरों की गाथाएं,
कहीं अतिथि देवो भव पाया,
खुली आंखों से जब देखा,
तो गाड़ी से उड़ता कचरा उसी,
देवता के सिर पर आया,
क्या भारत ने यही सिखाया?
नहीं.........

भारत को स्वच्छ बनाना है ।
भारत को स्वच्छ बनाना है ।।

बस इत्ती सी बात,
केवल पत्तों पर धूल छाईं है,
दिल की कली क्यों मुरझाई है?
भारत माँ का यह कर्ज है,
आज हमें यह चुकाना है।
हम सबका यह फर्ज है,
आज हमें यह निभाना है।

भारत को स्वच्छ बनाना है।
भारत को स्वच्छ बनाना है।।

गली गलियारे या मोहल्ले,
मन से तन से या धन से,
हर कण–कण से गन्दगी को हटाना है,
जिस माँ ने हमें चमकाया,
उसी माँ की सेवा का मौका आया ।
पीछे नहीं कदम हटाना है ।

भारत को स्वच्छ बनाना है ।
भारत को स्वच्छ बनाना है ।।

गिन्नी चाँदना
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
जालंधर कार्यालय

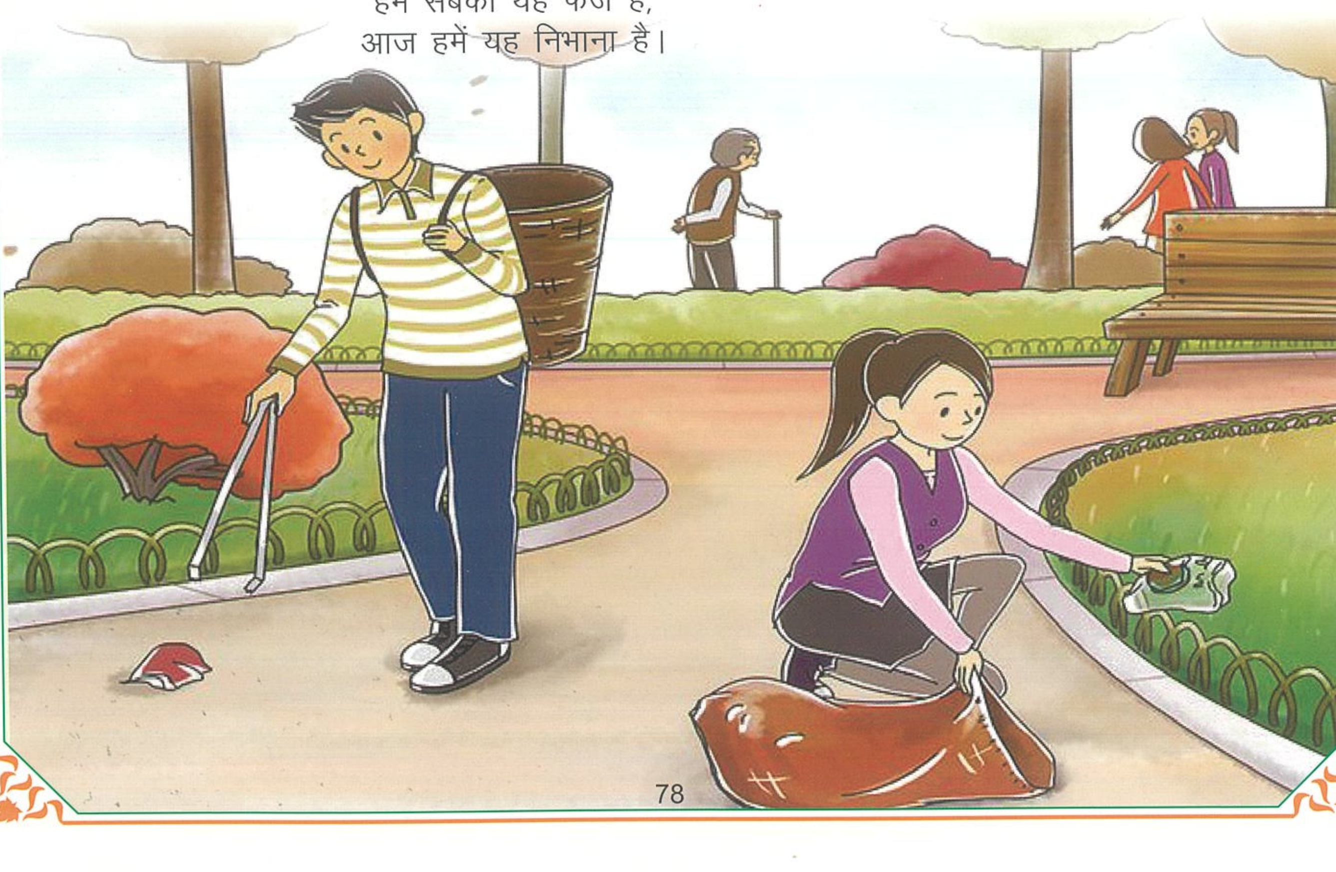

मेरा गाँव

बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है।
तेरे शहर से मेरा गांव अच्छा है।

वहाँ मैं मेरे पिता के नाम से जाना जाता हूँ,
और यहाँ मकान नम्बर से पहचाना जाता हूँ।

वहाँ फटे कपड़ों में भी तन ढका जाता है,
यहाँ खुले बदन पे टैटू छापा जाता है,

यहाँ कोठी है, बंगले हैं और कार है,
वहाँ परिवार और संस्कार है।

यहाँ चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती है।
वहाँ दूसरों की सिसकियां भी सुन ली जाती हैं।

यहाँ शोर–शराबे में कहीं खो जाता हूँ,
वहाँ टूटी खटिया पर भी आराम से सो जाता हूँ

मत समझो कि हम गाँवों से आए हैं,
तेरे शहर भी मेरे गांव ने ही सजाएं हैं।

वहाँ इज़्ज़त में सिर सूरज की तरह ढ़लते हैं,
चल आज हम उसी गाँव चलते हैं।

नीरज कुमार सहरावत
अवर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

माँ का कर्ज

खून जमाती ठण्ड में भी सीना ताने खड़े हुए
बदन जलाती गर्मी में भी सीमाओं पर अड़े हुए
बाँध शहादत का सेहरा मृत्यु से ब्याह रचाते हैं
देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं।

बर्फीली वायु हो चाहें, तूफानों ने दी हो चुनौती
चाहे दुश्मन के खेमे से गोली की बौछारें होती
चाहे हो कैसी भी विपदा पर ये ना घबराते हैं
देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं।

माँ, पत्नी, बच्चों से दूर, राष्ट्र धर्म में रमे हुए
दिल में कितना दर्द ये पाले पर सीमा पर डटे हुए
अपनी जान गंवाकर भी दुश्मन को धूल चटाते हैं
देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं।

धरती माँ के सच्चे बेटे, सर पर कफ़न बाँध कर बैठे
नींद नहीं उनकी आँखों में ताकि हम सब चैन से लेटे
देश की रक्षा के खातिर वे वीरगति को पाते हैं
देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं।

देख तिरंगा इन वीरों को गर्वित हो लहराता है
भारत माँ का मस्तक भी शान से यूँ इठलाता है
जब जब सीना ताने ये जीत का बिगुल बजाते हैं
देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं।

इन्हें जन्म देने वाली कोख के अहसानमंद
पत्नी और परिवार के बलिदान को शत–शत नमन
इस अतुल्य त्याग का हम मिलकर गीत गाते हैं
देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं।

ज्ञान सिंह नेगी
अपर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

माननीय अतिथि गणों के साथ प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले कार्मिक

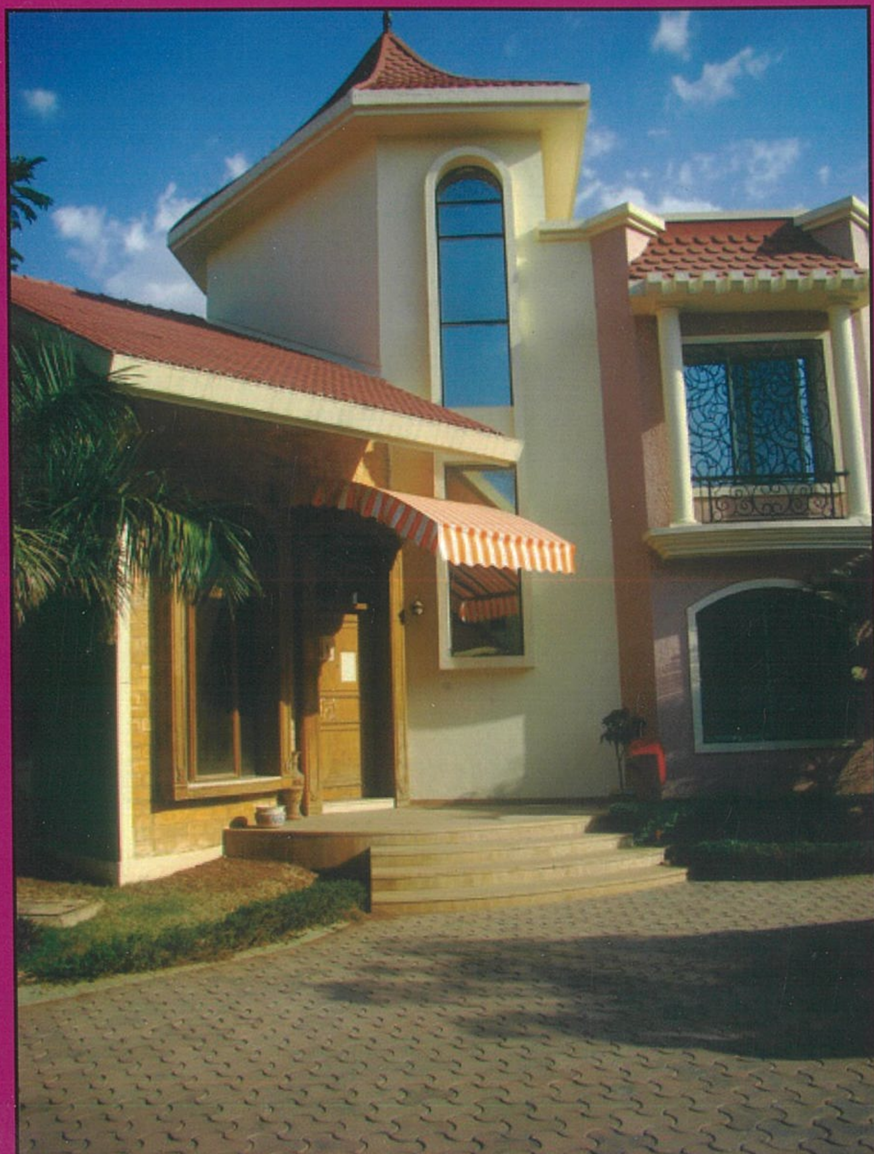

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई सम्पत्ति

प्रवर्तन निदेशालय

छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003